खण्ड-430, अंक-3
गुरूवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(18 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	1–2
प्रश्नोत्तर	3–59
प्रश्नकाल से व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	59–61
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	61
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रौजा से टिकरी मार्ग का पुनर्निर्माण करवाकर लेपन स्तर तक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर स्थित अस्पताल में डाक्टरों की तैनाती कर चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर व बिसवां के अन्तर्गत कतिपय बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की छटनी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मृतक कर्मचारी के सभी बकाया देयों एवं पेंशन का भुगतान शीघ्र करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी के थानाध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब एवं बेकसूर लोगों पर किये जा रहे अत्याचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	64–71
नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का स्थगन	71–72
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	72
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	72
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	72

विषय				पृष्ठ संख्या
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	...	72
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	...	72–73
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	...	73
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का सत्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	...	73
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...		73
संत रविदास नगर (भदोही) के काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में श्री दिवाकर शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	74
संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के मलेथू बाजार में चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)		...	...	74
संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के दुर्गागंज बाजार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)			...	74
संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां को नयी तहसील बनाये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	74
संत रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के वरना नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	....	...	74
संत रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर में डेंगुरपुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर उपाध्याय तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	75
गोण्डा नगर के मध्य में स्थित "सागर तालाब" का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सरन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)				75

विषय	पृष्ठ संख्या
गोण्डा नगर के मध्य में स्थित "राधा कुण्ड" का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में श्री रघुनन्दन सरन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	75
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित किया गया)	75–76
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित किया गया) ...	76
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित किया गया)	76
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित किया गया)	76–77
श्री ददूू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजाराम पाल, श्री जगदीश नारायण राय, श्री श्रीराम पाल, श्री रामललित चौधरी, श्री सतीश जतारिया, श्री राम शंकर पाल, श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी, श्रीमती माया प्रसाद, श्री आर० के० चौधरी, श्री मतेश चन्द सोनकर, श्री आर० के० सिंह पटेल तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन त्याग करने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश ...	77–79
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–02 आवास विभाग (स्वीकृत)	79–80
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	80
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	80
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	81–83
जनपद गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा रिगौली–बढ़या तथा बढ़या–कोठा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर बन्धे का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी किसानों की भूमि का प्रतिकर न चुकाये जाने के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	83–84
जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत मै० स्कार्ट यामाहा लि० सूरजपुर ग्रेटर नोयडा में हुई श्रमिकों की हड़ताल तथा प्रबन्धकों द्वारा समझौते के अनुरूप मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव की बहाली न किये जाने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	84

विषय	पृष्ठ संख्या
राजस्व परिषद्, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत पत्रावलियां जो कि आयुक्त गढ़वाल मण्डल को भेजी गई थी के गुम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	84–85
जनपद गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के नागरिको की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण तथा सुविधाओं हेतु मनकापुर तहसील अथवा गोण्डा जिला मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना किये जाने के संदंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	86
आगरा में भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर आगरा नगर में सफाई, विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा अम्बेडकर पार्कों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराये जाने के संबंध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	86–87
देवरिया जनपद के तहसील रुद्रपुर में बाढ़ राहत कार्यों में लगाई गयी नावों के नाविकों की मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा केवल वक्तव्य	87
प्रदेश में एम० एन० आर० की परीक्षा द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं का प्रवेश के समय आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	88–89
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई, हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा अनियमिततायें किये जाने के संबंध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	89–91
टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत होने वाले विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य तथा परियोजना पर होने वाले व्यय के विषय में कुंवर रेवती रमण सिंह आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	91
हरिद्वार के गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण के कार्यों के विषय में श्री अम्बरीष कुमार आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	91
नत्थी	92–93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–श्री अजय राय, श्री	वाराणसी
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
4–अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
5–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
6–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
7–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
8–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
9–ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
10–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
11–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
12–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
13–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
14–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
15–केशो मेहरा, श्री	आगरा
16–के०सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
17–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
18–गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
19–चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
20–श्री छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबद
21–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
22–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
23–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
24–नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
25–परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
26–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
27–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
28–श्री फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
29–बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
30–बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
31–बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
32–बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
33–भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
34–भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
35–मंजू, श्रीमती	बलिया
36–महेन्द्र अरिमर्दन सिंह, राजा	आगरा
37–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
38–मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
39–मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
40–मुराद लारी, श्री	देवरिया
41–यशपाल सिंह चौहान श्री	अलीगढ़
42–योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
43–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
44–रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
45–राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
46–राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
47–राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
48–राम नक्षत्र, श्री	पडरोना
49–रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
50–राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
51–राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
52–राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
53–राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
54–लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
55–लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
56–लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
57–विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
58–विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
59–विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा

60–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा	65–संत राम सिंह, श्री	जालौन
61–वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	66–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
62–शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी	67–सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
63–शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़	68–सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
64–संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	69–श्री हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
		70–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी नियम 311 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की संख्या के मुताबिक उस अनुपात में जो बजट का प्राविधान है वह इस सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के बाद यदि समय रहा तो आपको सुन लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस सरकार द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है । मान्यवर, वर्ष 1998-99 में यह घोषणा की गयी थी कि रुपया 2197 करोड़ इस मद में दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 311 में आई थी । सभी माननीय सदस्यों को सुनने के उपरान्त नियम–56 में आपकी बात को सुन लिया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के बाद समय रहेगा तो सुन लेंगे । यह लिखा नहीं जा रहा है । यह लिखा न जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ भी लिखा नहीं जायेगा, कोई भी चीज लिखी नहीं जायेगी ।

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उनके विकास के लिए जो भारत के संविधान की मंशा है, उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, नियम–311 की आपकी सूचना निरस्त हुई है । कृपया बैठ जायें ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य ने जोर-जोर से नारे लगाये)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 06 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये संविधान में व्यवस्था की गयी थी जिसके अनुसार राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये है कि इन वर्गों के लोगों की उन्नति के लिये सरकार कदम उठाये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने विकल्प रखा है कि नियम–56 के बाद आपकी सूचना ले लूंगा ।

श्री राम जग–

सरकार पिछड़े, दलित लोगों की उपेक्षा कर रही है ।

(शोर निरन्तर जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल में 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपकी रुचि होगी ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गिरते भू-गर्भ जल स्तर हेतु कृत्रिम रिचार्ज योजनायें तैयार करने के निर्देश

**1—डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बाल चन्द्र मिश्र तथा श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र में और डार्क एरिया के रूप में चिन्हित किये गये हैं ? क्या इन क्षेत्रों में पानी की रीचार्जिंग की कोई योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)—

जी हां ।

विभाग द्वारा सम्पादित भूजल सर्वेक्षण के आधार पर विकास खण्डवार आंकलित भूजल उपलब्धता एवं विकास स्तर के आधार पर नाबार्ड द्वारा 111 विकास खण्ड "डार्क" एवं 198 विकास खण्ड "ग्रे" श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं । डार्क एवं ग्रे क्षेत्र की जनपदवार सूची संलग्न है । †

जी हां ।

प्रदेश के विकास खण्डों (सतांव, जनपद—रायबरेली, बिल्लौर, जनपद—कानपुर एवं जनपद—फिरोजाबाद के छः ग्राम) में प्रयोगिक रूप से कृत्रिम रिचार्ज का परीक्षण किया जा रहा है, जिनकी व्यवहारिक सफलता की प्रमाणिक पुष्टि की जानी अपेक्षित है । दस लाख कूप योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना में डार्क/ग्रे विकास खण्डों में जिलाधिकारियों को कृत्रिम रिचार्ज योजनायें तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी चिकित्सालयों में दवाओं की चोरबाजारी एवं चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्य योजना

**2—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों की उपेक्षा, दवाओं की चोर बाजारी एवं चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)—

जी नहीं । यह व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है ।

सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों की उपेक्षा एवं दवाओं की चोर-बाजारी के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है । उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निबन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है, और यदि किसी चिकित्सक की प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायत प्राप्त होती है, तो जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है । सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने

† छापी नहीं गई ।

के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं एवं आकस्मिक निरीक्षण करके उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाने के उपाय

*1—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह दिसम्बर, 1998 व जनवरी, 1999 में किसानों की आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाने के कारण किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार झुलसा रोग को रोकने के उपाय करेगी और किसानों को हुए नुकसान का कोई सर्वेक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)—

माह दिसम्बर, 98 व जनवरी, 99 में प्रदेश के मात्र बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती जनपदों से झुलसा रोग की सामान्य सूचना प्राप्त हुई है । शेष अन्य जनपदों से इस रोग के लगने की सूचना नहीं है।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

झुलसा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तरों से दिशा निर्देश (प्रचार-प्रसार एवं रसायनों की व्यवस्था के निर्देश) दिये गये थे । झुलसा रोग के भारी प्रकोप की सूचना नहीं है । अतः किसानों को हुए नुकसान के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

जिला/नगर पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के चहुमुखी विकास हेतु राज्य से मिलने वाले अंश में बढ़ोत्तरी को उपलब्ध कराने की जानकारी

*2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जिला पंचायतों, नगर पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों की आय का स्रोत बढ़ाने तथा उनके चतुर्दिक विकास के लिए उन्हें राज्य से मिलने वाले अंश में बढ़ोत्तरी की है ? यदि हां, तो क्या उक्त बढ़ोत्तरी के अंश को निकायों को उपलब्ध कराने की कोई रूपरेखा भी निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)—

जी हां ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य के कुल कर राजस्व की शुद्ध आय का 4 प्रतिशत भाग जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही है, जिसमें से 20 प्रतिशत भाग जिला पंचायतों को तथा 80 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही है । उक्त 4 प्रतिशत को क्षेत्रफल के आधार पर संक्रमित किया गया है, जिसमें जनसंख्या को 80 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल को 20 प्रतिशत का महत्व दिया जाता है ।

इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य के कुल कर राजस्व की कुल शुद्ध आय, जिसमें वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि निहित है, का 3.12 प्रतिशत, नगर निगमों को, 3.12 प्रतिशत नगर पालिका परिषदों को तथा 0.76 प्रतिशत नगर पंचायतों को इस प्रकार कुल 7 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को 80 प्रतिशत जनसंख्या एवं 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर संक्रमित की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में खरीफ एवं जायद फसलों को खरपतवार से नुकसान को रोकने के उपाय

*1. श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में रबी, खरीफ एवं जायद फसलों में भारी मात्रा में खरपतवार (विशखपरा, लुनिया, चौलाई व बथुआ, गेहूं का मामा व जई आदि) पैदा होने के कारण किसानों की फसलों को करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई विशेष उपाय/कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

करोड़ों रुपये की क्षति नहीं हो रही है । हां जो किसान समय से फसल की निराई-गुड़ाई नहीं करते उनकी फसल की पैदावार अवश्य प्रभावित होती है ।

फसल की बुवाई के पूर्व खरपतवार के नियंत्रण हेतु किसानों को तकनीकी सलाह एवं प्रशिक्षण दिया जाता है जो किसान बताई गयी तकनीकी के अनुरूप समय से निराई-गुड़ाई अथवा खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग करते हैं, उनकी फसलों को क्षति नहीं होती है ।

खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रत्येक फसल के लिए जनपदवार कार्य योजना बनाकर क्षेत्रफल का लक्ष्य रखते हुए रसायन की व्यवस्था शीर्ष संस्थाओं से कराते हुए निजी संस्थाओं से भी की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पेट की भूख से हुई मौतों के निदान हेतु कार्य योजना

1. श्री राम औतार शाक्य तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रदेश में पेट की भूख से मौतें हुई हैं ? क्या सरकार ने इस विकराल समस्या के निदान हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

प्रदेश के 71 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 में पेट की भूख से मौतें नहीं हुई शेष जनपदों की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जी हां ।

उक्त समस्या के निदान हेतु प्रदेश के निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को नि:शुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण की योजना है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निराश्रित एवं असहाय व्यक्ति को 10 कि०ग्राम प्रति माह की दर से खाद्यान्न (गेहूं) सरकारी उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने तथा प्रत्येक निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को वर्ष में एक बार 100/- रुपये मूल्य तक वस्त्र दिये जाने का प्राविधान है । यदि योजना क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो उसके निराकरण हेतु जिलाधिकारी अधिकृत हैं । प्रदेश के निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को नि:शुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में समस्त जनपदों को रु० 1,7489,824/- की धनराशि आवंटित की गयी है तथा वर्ष 1999–2000 में रु० 2.00 करोड़

की बजट व्यवस्था है। इसके साथ ही दैवी आपदा के समय प्रभावित व्यक्तियों को भुखमरी से बचाने के लिये आपदा राहत निधि से अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है।

*2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 9-3-99 को ता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में नकली खाद बनाने वाले कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*3–श्री राजधारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में नकली खाद प्रमुख रूप से डी०ए०पी० एवं पोटाश खाद बनाने के कारखाने का कोई पता चला है ? यदि हां, तो वे किन जनपदों में हैं ? क्या सरकार ने ऐसे नकली कारखानों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यद्यपि ऐसे कारखानों की जानकारी नहीं है तथापि इस सम्भावना को ही समाप्त करने के लिये तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985/आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के प्राविधानान्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाहियां प्रचलित हैं :–

1–प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक रूप से उर्वरक व्यवसाय पर छापे आयोजित कराये जा रहे हैं तथा संदिग्ध उर्वरक स्टाक से गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने ग्रहीत किये जा रहे हैं।

2–अवैधानिक उर्वरक संचलन पर कड़ी निगरानी हेतु प्रदेश के सीमान्त जनपदों के बार्डर पर पुलिस/कस्टम एवं विभागीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

3–उर्वरक के शीर्ष उपभोग के समय में उर्वरक व्यवसाय पर प्रदेश व्यापी विशेष छा० आयोजित कराये गये हैं।

4–उर्वरकों की त्वरित परीक्षण हेतु प्रत्येक किसान सेवा केन्द्र पर उर्वरक परीक्षण किट उपलब्ध कराये गये हैं।

5–उर्वरकों के विनिर्माण स्थल/फैक्ट्री स्तर से प्रदेश के जनपदों में दूरदराज के अंचलों में स्थापित विक्रय केन्द्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा नमूने ग्रहीत कर परीक्षण कराये जा रहे हैं।

6–जिन विनिर्माताओं/विक्रेताओं के नमूने अमानक स्तर के पाये गये हैं उन्हें दण्डित किया गया है।

*4–श्री समर पाल सिंह तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[दिनांक 11-3-99 को ता०प्र०सं०–3 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक आसपुर–देवसरा, पट्टी को ऊसर बाहुल्य क्षेत्र में शामिल करने की मांग

*5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश ऊसर सुधार निगम द्वारा ऊसर सुधार हेतु प्रदेश के विकास खण्डों के चयन के मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो

वे क्या हैं ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर-देवसरा-पट्टी, मगरौरा के उक्त मानक के अनुरूप ऊसर बाहुल्य क्षेत्र को द्वितीय फेज में शामिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

इन विकास खण्डों में प्रथम चरण में कार्य किया जा रहा है एवं इसे सन् 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

जनपद गाजीपुर में आलू भण्डारण की व्यवस्था की जानकारी

*6–श्री गणेश राजभर–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सरकार ने आलू भण्डारण के लिए कौन सी व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जनपद गाजीपुर में आलू भण्डारण की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

आलू उत्पादकों की भण्डारण समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त शीतगृहों पर सुव्यवस्थित रूप से भण्डारण की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या–3532/अट्ठावन–1-98–100(28)/98. दिनांक 16-10-98 द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 99 से 14 फरवरी, 99 तक इस वर्ष लागू की गयी भण्डारण बुकिंग अवधि संशोधित शासनादेश संख्या–726/58–1-99–100(41)/98 टी०सी०, दिनांक 16 फरवरी, 99 द्वारा बढ़ाकर दिनांक 10-3-99 तक की गयी जिसके फलस्वरूप नियंत्रित और सुगम रूप से भण्डारण हो रहा है और शीतगृहों पर अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्र होने अथवा शान्ति व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होने की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

आलू भण्डारण की अग्रिम बुकिंग प्रणाली जनपद गाजीपुर में भी लागू थी ।

जनपद फिरोजाबाद, टूण्डला में ओलावृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता की जानकारी

*7–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार को जानकारी है कि टूण्डला विधान सभा क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1998 में ओलावृष्टि एवं बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दैवी आपदा से पीड़ित वहां के परिवारों को आर्थिक सहायता [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 में तहसील फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में ओलावृष्टि से 45 ग्रामों की 6082.92 हेक्टेअर भूमि की फसल को हानि हुई है । 2 मनुष्यों एवं 7 पशुओं की मृत्यु हुई है । प्रभावितों में रुपया 69,34,975.00 की धनराशि चेक के माध्यम से सहायता के रूप में वितरित की गई। इस क्षेत्र में बाढ़ से कोई हानि नहीं हुई है ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के ग्राम हिया में फर्जी आदेशों के आधार पर इन्द्राज करने के प्रकरण पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की मांग

*8–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम हिया के वर्तमान प्रधान ने वर्ष 1988-89 में पूर्व प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर एवं प्रस्ताव बनाकर अपने निकट संबंधी परिवार के सदस्यों के नाम से भूमि का पट्टा करा लिया था तथा चकबन्दी विभाग द्वारा चकबन्दी के दौरान अमलदरामद भी करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर ग्राम प्रधान (वर्तमान) के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह रिरोही–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम हिया में वर्ष 1988-89 में वर्तमान प्रधान के निकट सम्बन्धी परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व एवं वर्तमान प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा कोई पट्टा नहीं हुआ है और न ही चकबन्दी विभाग में फर्जी पट्टे के आधार पर कोई अमलदरामद हुआ है । चार मामलों में श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र बेलन्द्र सिंह व बेलन्द्र सिंह पुत्र शम्भू रतन सिंह के नाम खतौनी वर्ष 1392 फ० से 1397 फ०, जो आधार वर्ष की खतौनी है, में फर्जी तरीके से सहायक कलेक्टर, सण्डीला के न्यायालय के वाद सं०–714/2, 627/, 314/ तथा 614/2 में क्रमशः दिनांक 12-1-87, 18-4-88, 10-3-88 तथा 23-4-87 के अन्तर्गत धारा 229 जी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश का संदर्भ देते हुए अंकित कर दिये गये थे, जबकि यह वाद सहायक कलेक्टर, सण्डीला के न्यायालय में मिसिलबन्द के अनुसार योजित ही नहीं हुए थे । उपरोक्त फर्जी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित खातेदारों को चक प्रविष्ट कर दिये गये थे, परन्तु फर्जी इन्द्राज का तथ्य प्रकाश में आने पर इन फर्जी इन्द्राजों को निरस्त करने के संबंध में संदर्भ जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत सन्दर्भ बनाकर जिला उप संचालक चकबन्दी अधिकारी/जिलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा योजित कर दिया गया है । इस दुरभि सन्धि पूर्ण कृत्य के माध्यम से गांवसभा की भूमि हड़पने के षडयंत्र के सम्बन्ध में प्रधान बेलन्द्र सिंह पुत्र शम्भू रतन सिंह व उनके पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी रामहिया तथा फर्जी इन्द्राज के लिये श्री राम किशोर चकबन्दी लेखपाल एवं श्री दुधनाथ सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध थाना बावसिमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं०–19/99 धारा 467, 468/471/419/420 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है ।

झांसी मण्डल में टमाटर की पैदावार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मांग

*9–श्री श्रीराम पाल ।

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल के जिलों में टमाटर की बढ़ती खेती व पैदावार को देखते हुए टमाटर की फसल में गुणवत्ता हेतु किसानों को तकनीकी/वैज्ञानिक जानकारी देने तथा प्रोत्साहित करने हेतु इस मण्डल में सरकार द्वारा टमाटर प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं ।

चूंकि बरूआसागर (झांसी) में प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है । अतः नये शोध केन्द्र की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मृतक की विधवा का भूमि का अधिकार समान अंश में दिये जाने की व्यवस्था

*10–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी सगे पुत्रों की भांति जमीन या अचल सम्पत्ति में समान भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा कोई शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रदेश में राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

अधिसूचना संख्या–1424/सत्रह-वि–1-1 (क)-22/1998, दिनांक 29 जुलाई, 1998 द्वारा उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–29 सन् 1998) प्रख्यापित किया गया है जिसके अनुसार उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 को संशोधित करके नई धारा 171 प्रतिस्थापित की गई है। उक्त नई धारा के अनुसार पुंजातीय वंशज क्रम में पुत्र पौत्रादि के साथ मृतक भूमिधर या आसामी की विधवा को भी मृतक भूमिधर या आसामी द्वारा धृत भूमि का अधिकार समान अंश में दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त संशोधन की व्यवस्था से समस्त जिलाधिकारियों/पण्डलायुक्तों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया जा चुका है।

जनपद सीतापुर इण्डस्ट्रियल स्टेट मल्हुई और खैराबाद में रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु विज्ञापन

*11–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर मे इण्डस्ट्रीयल स्टेट से राय मल्हुई और खैराबाद में ऐसे कितने सेट या प्लाट वर्तमान समय में खाली पड़े हैं जिनमें अभी तक उद्योग नहीं लगाया गया है ? क्या सरकार उनको निरस्त कर अन्य लोगों को, जो इण्डस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं, उनको आवंटित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबूराम, एम० काम)–

(क) जनपद सीतापुर में इण्डस्ट्रियल स्टेट सराय मल्हुई और खैराबाद में वर्तमान समय में कोई शेड खाली नहीं है वर्तमान में 5 भूखण्ड निरस्तीकरण के पश्चात् रिक्त हैं तथा 8 भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी हां। रिक्त 5 भूखण्डों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड लोनी में चिन्हित एल० एम० सी० की भूमि को भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

1–श्री रूप चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विकास खण्ड में अब तक एल०एम०सी० की कितनी भूमि चिन्हित हुई है ? इसमें से कितनी भूमि पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? सरकार इसे कब तक भू-माफियाओं से मुक्त करा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बागपत में फल पट्टी क्षेत्र व बफर जोन के अनधिकृत ईंट भट्ठों को बन्द कराने की मांग

2–श्री रूप चौधरी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जनपद में फल पट्टी क्षेत्र व बफर जोन में किस-किस ब्लाक में कितने ईंट भट्ठे हैं ? क्या जनपद के फल पट्टी बफर जोन क्षेत्र में अनाधिकृत ईंट भट्ठे चलाये जा रहे हैं ? सरकार कब तक फल पट्टी क्षेत्र से ईंट भट्ठे बन्द करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद बागपत में फल पट्टी एवं बफर जोन के क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड खेकड़ा में 61 तथा विकास खण्ड पिलाना में 25 ईंट भट्ठे हैं । जिनको बन्द कराने हेतु मेरठ तथा बागपत जनपद से नोटिस जारी किये गये हैं ।

जिलाधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार विकास खण्ड खेकड़ा के 7 तथा विकास खण्ड पिलाना के 3 ईंट भट्ठे बन्द कराये जा चुके हैं । शेष को बन्द कराये जाने सम्बन्धी विविध वाद न्यायालय जिलाधिकारी में विचाराधीन है ।

जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड लोनी में अवैध मिट्टी खनन पर कार्यवाही की मांग

3–श्री रूप चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करके मिट्टी दिल्ली ले जायी जा रही है ? क्या सरकार इसे रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विकास खण्ड लोनी क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन को उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रतिबन्धित किया गया । आगे का क्रियान्वयन पुलिस विभाग के स्तर से कराया गया तथा अवैध खनन पूर्ण रूप से बन्द किये जाने की कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायत तथा उसके 189 मजरे के लोगों को राहत देने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

4 डा० धर्मेश मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–1/16309/हरदोई/98 जो कि गंगा जी की बाढ़ से 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पंचायत तथा उनके 189 मजरे कुल मिलाकर 242 को राहत एवं गृह अनुदान प्रदान किये जाने विषयक था और आयुक्त, राहत को दिनांक 21-9-98 को भेजा गया था, राहत आयुक्त द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

तहसील बिलग्राम के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत तथा उसके 189 मजरे कुल 242 ग्रामों में तत्समय बाढ़ से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान, अहेतुक सहायता तथा खाद्य सामग्री आदि का वितरण किया गया है।

जनपद कानपुर देहात, पोस्ट पनियांमऊ, ग्राम सुजौर में देशी शराब की दुकान को प्राथमिक विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना

5—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–सुजौर, पो०–पनियाँमऊ, जनपद कानपुर देहात में देशी शराब की दुकान प्राथमिक विद्यालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त दुकान को वहां से हटाने हेतु गांव की महिलाओं द्वारा 26 जनवरी, 1999 को रास्ता जाम किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त देशी शराब की दुकान को वहां से हटाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

ग्राम सुजौर, पोस्ट पनियांमऊ, जनपद कानपुर देहात में स्थित देशी शराब की दुकान को प्राथमिक विद्यालय से लगभग 123 मीटर की दूरी पर अन्यत्र स्थानान्तरित करा दिया गया है। प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत दुकान के स्थानान्तरण हेतु दिनांक 26-1-99 को गांव की महिलाओं द्वारा रास्ता जाम नहीं किया गया था।

श्रीमती अंगूरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाहपुर के खातों पर वित्तीय अधिकार बहाल करने की जानकारी

6—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अंगूरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, शाहपुर के खातों पर प्रशासनिक रोक हटाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम– 2/19652/मथुरा/99, दिनांक 16-1-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

श्रीमती अंगूरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाहपुर के आदेश संख्या 1249/पंचायत/ आत/सामान्य दिनांक 6-3-99 द्वारा वित्तीय अधिकार बहाल किये जा चुके हैं।

जनपद गोण्डा डिक्सीर के ग्राम पकवान के निवासियों का चकबन्दी निरस्त करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

7—श्री लाल जी वर्मा तथा श्री बनारसी दास चांदना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पकवान गांव, विधान सभा क्षेत्र डिक्सीर, गोण्डा के निवासियों के हस्ताक्षरयुक्त चकबन्दी निरस्त करने संबंधी पत्र संख्या 6126/ जी/98 डी० एम०, गोण्डा, 4344/वी०आई०पी०/98, 20-11-98 दिनांक 25-11-98 चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त प्रकरण पर निदेशालय स्तर से जांच कराई गई। जांच में पाई गई त्रुटियों एवं ग्राम की अन्य त्रुटियों के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उनके स्तर से प्राप्त

आपत्तियों के निस्तारण के समय इन त्रुटियों का निराकरण चकों में संशोधन करके करें । यदि त्रुटियों का निराकरण चकों में संशोधन करके सम्भव न हो तो ग्राम को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर पुनः चक निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित करने हेतु विचार करने के निर्देश गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय युवा उत्सव की व्यवस्था हेतु मांगे गये टेण्डर/दरों की जानकारी

8—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा सप्ताह कार्यक्रम हेतु टेन्ट,फर्नीचर, भोजन व्यवस्था आदि के लिये वर्ष 1998-99 के लिये निविदा मांगी गयी थी ? यदि हां, तो निविदा किस-किस रेट पर स्वीकृत की गयी ? युवा सप्ताह कार्यक्रम हेतु पुनः निविदा मांगने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि पुनः निविदा पूर्व में स्वीकृत फर्म को ही बढ़े हुए दरों पर दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी हां, राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु भोजन एवं परिवहन व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था हेतु टेण्डर मांगे गये थे ।

विभिन्न आइटमों की स्वीकृत दरों की सूची क्रमशः अनुलग्नक–1 से 7 में संलग्न है ।†

जी नहीं, राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु केवल एक ही बार निविदा मांगी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रान्तीय रक्षक दल (पी० आर० डी०) के जवानों को युवा कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा ड्यूटी भत्ता नगद भुगतान कराने का प्रकरण

9—श्री तेजभान सिंह–

क्या युवा कल्याण में मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ड्यूटी पर लगाये गये पी० आर० डी० जवानों का ड्यूटी भत्ता भुगतान प्राप्त करने (गैर सरकारी संस्थानों से) तथा जवानों को भुगतान करने के लिये एकाउन्टपेई चेक के माध्यम से समस्त जनपद को आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद सुल्तानपुर में दुग्ध डेरी सहकारी संघ लिमिटेड पर ड्यूटी पर लगे पी० आर० डी० जवानों का ड्यूटी भत्ता जिला युवा कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दुग्ध डेरी से नगद प्राप्त कर जवानों को नगद भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विभागीय निर्देशों की अवहेलना तथा वित्तीय अनियमितता एवं पद का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला में गत वर्ष वर्षा के कारण गिरे मकानों की राहत धनराशि वितरण की मांग

10—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में गत 1998 की वर्षा से गिरे हुए मकानों की राहत धनराशि क्या वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? समस्त राहत राशि कब तक वितरित कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में वर्ष 1998 में तत्समय वर्षा से गिरे हुए मकानों के 812 पात्र गृह स्वामियों को शासनादेशानुसार रु० 4,92,400/- गृह अनुदान का वितरण किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के उन्नाव रायबरेली मार्ग से कथित मार्गों के निर्माण में अनियमितता की जांच

11—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 16-11-98 को राज्य मंत्री उत्तरांचल एवं प्रभारी मंत्री जनपद उन्नाव ने जिला पंचायत द्वारा बनवायी गयी उन्नाव रायबरेली मार्ग से कुलहा बगहा एवं ठगपुरवा का निरीक्षण किया था और सड़कों के निर्माण में धन के दुरुपयोग एवं अनियमितता की जांच कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय राज्य मंत्री उत्तरांचल एवं प्रभारी मंत्री जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 16-11-98 को नहीं बल्कि दिनांक 17-11-98 को जनपद उन्नाव का भ्रमण किया गया था । विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये कार्यों की भौतिक समीक्षा की गयी । जिसमें जिला पंचायत उन्नाव द्वारा टेण्डर के आधार पर अनुदान की धनराशि से ठेका देकर उन्नाव–रायबरेली रोड से ठगपुरवा एवं उन्नाव–रायबरेली रोड से बगहा मार्ग का ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य का भी निरीक्षण किया गया । माननीय सदस्य, विधान सभा (प्रश्नकर्ता) द्वारा सड़कों के निर्माण में धन के दुरुपयोग एवं अनियमितता की बात उठाई गई । मा० मंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को कई विभागों के कार्यों की जांच एक जिला स्तरीय जांच समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिये गये । जिसके सदस्य माननीय सदस्य विधान सभा श्री कृपाशंकर सिंह भी हैं ।

गठित समिति द्वारा जांच कार्य चल रहा है ।

समिति द्वारा जांच के उपरान्त जो भी स्थिति होगी उसके गुण व दोष एवं समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियमानुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

12—श्री सौलत अली–

[दिनांक 11-2-99 को अता०प्र०सं० 66 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड कप्तानगंज में मण्डी परिषद् द्वारा पंडुलघाट से मरकहवा मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

13—श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड कप्तानगंज में मण्डी परिषद् द्वारा पंडुलघाट से मरकहवा अम्बेडकर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं,तो क्यों ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था । बाद में नीतिगत निर्णय के तहत चयनित अनुबन्ध के कार्यों पर धन अवमुक्त नहीं किया गया । धन अवमुक्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

चयनित अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु मण्डी परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-98 में लिये गये निर्णयानुसार इस सम्पर्क मार्ग का कार्य यथास्थिति के आधार पर अन्तिम किया जाना है तथा शेष बचे हुए कार्य को निविदा आमंत्रित करके पूर्ण कराया जाना है । निविदा आमंत्रण एवं उनको स्वीकार करने की प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है । अतः निश्चित समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद देवरिया, ब्लाक लार, ग्राम सभा बिस्तौली के ग्राम प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच हेतु प्राप्त शिकायती पत्र

14—श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बिस्तौली ब्लाक–लार,जनपद देवरिया के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच हेतु माह जनवरी, 1999 के चौथे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उक्त शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी । शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, तहसील हरैया, श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी से जांच कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, निवासिनी रियासत परवरपास, तहसील हरैया, जनपद बस्ती का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-4-97 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है और उन्होंने बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी बस्ती को जांच हेतु आदेश दिनांक 12-4-97 को तथा तत्संबंधी अनुस्मारक पत्रांक–13/वित०/दिनांक 21-5-97 को भेजा है प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जांच कराकर प्रत्येक बिन्दुओं पर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चकबन्दी अधिकारी (आर) के आदेश दिनांक 27-2-97 से ग्राम समाज की भूमि प्रभावित

हुई है ? यदि हां,तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम का धारा–52 का प्रकाशन हो जाने के कारण तथा मूल पत्र दिनांक 12-4-97 के प्राप्त न होने के कारण दिनांक 21-5-97 के पत्र पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

चकबंदी अधिकारी (आर) ने अपने आदेश दिनांक 26-2-97 से मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 8-1-87 के अनुपालन में अमल दरामद की कार्यवाही की है । च० अ० ने अपने आदेश से गांव सभा की भूमि पर कोई संशोधन नहीं किया है । उक्त गांव सभा भूमि के सम्बन्ध में मामला उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है । उक्त ग्राम परवरपारा का धारा–52 के अन्तर्गत दिनांक 11-2-89 को राजकीय गजट में प्रख्यापन हो चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, भोगीपुर, गोपालपुरा मौजा का मानचित्र एवं फसली 1331 के कार्य का प्रकरण

16—डा० रामबाबू हरित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में भोगीपुरा व गोपालपुरा मौजा, जनपद आगरा का मानचित्र सरकार के पास सुरक्षित है? यदि नहीं, तो इन्हें गायब करने वाले दोषी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सन् 1923 फसली 1331 (आखिरी नक्शे) के बाद जनपद आगरा में सरकार ने बन्दोबस्त का कार्य किया है ? क्या सरकार रुड़की से इन नक्शों को मंगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मौजा गोपालपुरा का मानचित्र सुरक्षित है तथा मौजा भोगीपुरा का मानचित्र कागज की शीट पर होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध है । उक्त दोनों मौजों के मानचित्र सन् 1923 फसली 1331 के हैं । उक्त दोनों मौजे शहर में होने का कारण फसली 1331 के बाद बन्दोबस्ती का कार्य नहीं हुआ है । नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जाएगी ।

जनपद देवरिया, ब्लाक भलुवनी के ग्राम महुई श्रीकान्त के ग्राम प्रधान द्वारा भूमि आवंटन एवं राजस्व प्राप्ति पर व्यय जवाहर रोजगार योजना पर व्यय के सत्यापन की मांग

17—श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ब्लाक भलुवनी के ग्राम महुई श्रीकान्त के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामअधार के कार्यकाल में कितनी ग्राम समाज की भूमि आवंटित की गयी है तथा उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? उक्त गांव को जवाहर रोजगार योजना से कितना धन प्राप्त हुआ तथा उसका वर्षवार खर्च किन-किन कार्यों पर किया गया ? क्या यह सही है कि प्राप्त धन का बिना कार्य किये ही फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर धन की रिकवरी तत्कालीन ग्राम प्रधान की निजी सम्पत्ति से करने का आदेश देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद–देवरिया के ब्लाक भलुवनी के ग्राम महुई श्रीकान्त के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अधार द्वारा अपने कार्यकाल के वर्ष 1988 से अप्रैल, 95 तक कुल 2.42 एकड़ (0.979 हे०) ग्राम समाज की भूमि आवंटित की गयी है, जिससे मु० 779.50 रु० की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

प्रश्नगत व्यय का विवरण संलग्न है ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि प्राप्त धन का बिना कार्य किये ही फर्जी भुगतान अथवा दुर्विनियोग किया जा रहा है । उपर्युक्त परियोजना का शीघ्र सत्यापन करा लिया जायेगा । यदि सत्यापन में अनियमितता पाई जायेगी तो सम्बन्धित प्रधान/दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 92-93 पर)

आबकारी विभाग में वर्ष 1997 में मण्डलों में आबकारी सिपाही की भर्ती में अनियमितता की जांच

18—श्री जोखूलाल यादव, श्री राम स्वरूप सिंह तथा श्री परवेज हलीम खां–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी विभाग के विभिन्न मण्डलों में वर्ष 1997 में आबकारी सिपाही (कांस्टेबुल) के चयन में अनेकों ऐसे सिपाहियों का चयन किया गया था जो नाप की निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते थे एवं जिनका सीना और ऊंचाई दोनों कम है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे सिपाहियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार चयन में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

32

जी हां । अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर, तहसील मेंहदावल के गांवों में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण की जानकारी

19—श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि संत कबीर नगर की मेंहदावल तहसील के अन्तर्गत साठेकलां, साठे खुर्द, वनकशियां, मिसरौलिया मिश्र, जब्बार, करमेली, विसोवां आदि गांव वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रभावित हुए ? यदि हां, तो इन बाढ़ प्रभावित गांवों में क्या-क्या राहत सामग्री वितरित की गयी तथा क्या-क्या राहत कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

बाढ़ प्रभावित ग्रामों के प्रत्येक पात्र परिवारों को एक-एक हजार रुपया चेक द्वारा अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया तथा एक-एक साड़ी, एक-एक गमछा, एक-एक कमीज पैजामा, एक टुकड़ा बरसाती भी वितरित की गई । बाढ़ प्रभावितों में तत्काल राहत पहुंचाने हेतु पूड़ी, सब्जी, चूड़ा, गुड़, चावल, गेहूं, नमक, माचिस, मिट्टी का तेल आदि खाद्य सामग्री वितरित की गयी ।

20—श्री यशपाल सिंह चौहान–

[दिनांक 25-2-99 को अता०प्र०सं० 53 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद, टूण्डला के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

21—श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मीना राजपूत ब्लाक प्रमुख, फिरोजाबाद ने भूमि संरक्षण अधिकारी फिरोजाबाद (चतुर्थ) एवं भूमि संरक्षण अधिकारी टूण्डला की अनियमितताओं की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच की गयी है ? क्या उक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-7-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गई है । जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के जनपदों विकास खण्डों को यू० पी० डी० ए० एस० पी० परियोजना में शामिल करने की नीति तथा जनपद प्रतापगढ़ के कथित ब्लाकों को भी सम्मिलित किये जाने की जानकारी

22—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० डी० ए० एस० पी० परियोजना में प्रदेश के विकास खण्डों, जनपदों को शामिल करने की क्या नीति है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा ब्लाक भी इस योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

परियोजना के अन्तर्गत जनपदों व विकास खण्डों का चयन निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है :—

(1) चयनित जनपदों/विकास खण्डों के प्रमुख कृष्येत्तर उत्पादों (विशेषकर औद्यानिक उत्पादों) के लिये अनुकूल एग्रो-क्लाइमेटिक सम्भावनाओं की विद्यमानता ।

(2) परियोजनान्तर्गत चयनित घटकों/उत्पादों के क्रियान्वयन/विकास के लिये पूर्व से उपलब्ध संसाधन व जनसहभागिता का अपेक्षित स्तर ।

(3) शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिये आवश्यक अवस्थापनाओं के विकास की अनुकूल संभावनायें/उपलब्धता ।

(4) प्रति इकाई पूंजी निवेश तथा प्रति इकाई मानव शक्ति विनियोजन से अधिकतम लाभ प्राप्ति की सम्भावनायें ।

(5) चयनित क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों की विद्यमानता ।

(6) प्रदेश के समस्त मण्डलों/क्षेत्रों का प्रतिदर्शी आच्छादन ।

जी नहीं ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा में उपरोक्त मानकों की पूर्ति न हो पाने के कारण इन दोनों विकास खण्डों का चयन नहीं किया गया है ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर में बाढ़ प्रभावित गांवों को राहत दिये जाने की जानकारी

23.—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर क्षेत्र के लगभग 35 गांव इस वर्ष गंगा नदी की बाढ़ से बुरी तरह तबाह हो गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त बाढ़ से सैकड़ों मकान गिर कर नष्ट हो गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे बेघर लोगों को सरकार की ओर से कोई राहत दिये जाने की कोई योजना है ? यदि -हां, तो वह क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में वर्ष 1998 में गंगा नदी की बाढ़ से 40 राजस्व ग्राम प्रभावित हुए हैं ।

उक्त बाढ़ से 11 कच्चे मकान व 955 झोपड़ी पूर्णरूप से तथा 600 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

जी हां ।

प्रभावित गृह स्वामियों को गृह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है, जिसका विवरण निम्नवत् है :—

1–आंशिक क्षतिग्रस्त मकान हेतु

(क) पक्का मकान रु० 800/- नियत

(ख) कच्चा मकान रु० 600/- नियत

2–पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान हेतु

(क) पक्का मकान रु० 7500/- नियत

(ख) कच्चा मकान रु० 5000/- नियत

(ग) झोपड़ी/टट्टर के आवास झोपड़ी, टट्टर हेतु रु० 1000/-

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का पक्का मकान जो कम से कम तीन कमरे का हो और उसकी चारों दीवारें व छत पूर्णरूप से ध्वस्त हो गई हो, तो गृह अनुदान रु० 25,000/- प्रति मकान दिये जाने का प्राविधान है ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर में तहसील भवन के निर्माण की मांग

24—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अक्टूबर, 1995 में उन्नाव जनपद में तहसील बीघापुर का सृजन किया गया था जिसका कार्यालय एक छोटे से किराये के मकान में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या तहसील भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां । कार्यहित में तहसील मुख्यालय वर्तमान में सुमेरपुर में निःशुल्क भवन (धर्मशाला) में स्थापित है ।

यथासमय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद–सीतापुर, गोमती योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सीतापुर में गोमती योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जनपद–सीतापुर में गोमती योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच जिला अधिकारी, सीतापुर तथा उप कृषि निदेशक, (प्राविधिक सम्प्रेक्षण), भूमि संरक्षण अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कराई गई।

प्राविधिक सम्प्रेक्षण जांच में संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन के दुर्विनियोग का मामला प्रकाश में आया है।

दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया, विकास खण्ड भलुवनी, ग्राम महुई श्रीकान्त के ग्राम प्रधान द्वारा अपने भाइयों के नाम आवंटित ग्राम समाज की भूमि का आवंटन निरस्त करने की मांग

26—श्री अफीजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड भलुवनी के ग्राम महुई श्रीकान्त के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामअधार द्वारा 7-3-1990 में अपनी पत्नी, तीन भाइयों एवं सगे सम्बन्धियों के नाम से फर्जी प्रस्ताव पारित करके ग्राम समाज की भूमि को अलग-अलग नाम से आवंटित करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित पट्टों को निरस्त किये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर के ग्राम खूबपुर में बाढ़ पीड़ितों को अनुदान हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-4-98 या इसके आसपास जो ग्राम खूबपुर, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में वितरित अनुदान की जांच एवं छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान देने के विषय में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-3-98 उक्त प्रकरण में प्राप्त हुआ है ।

ग्राम खूबपुर तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के बाद प्रभावित पात्र 43 व्यक्तियों में गृह अनुदान रु० 70,400/- 62 व्यक्तियों में अहेतुक सहायता के रूप में रु० 62,000/- एवं खाद्य आदि सामग्री का वितरण किया गया । इसके अतिरिक्त 189 व्यक्तियों में 147-75 कुन्टल निःशुल्क बीज का वितरण किया गया ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड उतरौला मण्डी समिति द्वारा विगत कई वर्षों में प्राप्त राजस्व से विकास कार्य कराने की जानकारी

28—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद बलरामपुर में मण्डी समिति उतरौला द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार प्राप्त धनराशि से मण्डी समिति उतरौला द्वारा कोई विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1997-98 में रु० 24,54,842.12 तथा वर्ष 1998-99 (जनवरी, 99 तक) रु० 23,32,417.84 मण्डी शुल्क एवं अन्य आय के रूप में प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, तहसील भोगांव के मौजे में धारा–4 एवं 52 का प्रकाशन कराने की मांग

29—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी में ऐसे कितने मौजे हैं जिनमें चकबंदी अधिनियम की धारा–4 का प्रकाशन हुए 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं और उनमें अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ और क्यों ? क्या सरकार बेवर देहात पर बेवर तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी की धारा 4 च० अधिनियम की प्रकाशन की तारीख बतायेगी और उसमें चकबन्दी प्रक्रियायें समाप्त करने के लिये धारा 52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी में 5 ऐसे ग्राम हैं जिनमें चकबंदी अधिनियम की धारा–4 का प्रकाशन हुए 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं और उनमें अभी तक धारा–52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ।

यह ग्राम बेवर देहात, खुटारा, मासूमपुर भांवत, समान तथा पुड़री हैं इन ग्रामों में से 4 ग्रामों (बेवर देहात, खुटारा, मासूमपुर, भांवत तथा समान) में चकबन्दी प्रक्रियाओं में वाद न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विवादग्रस्त होने तथा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेशों से चकबन्दी कार्यवाही बाधित होने के कारण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कराई जा सकी । ग्राम पुड़री में चकबंदी कार्य पूर्ण कर लिया है । धारा–52 के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम बेवर देहात, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी का धारा–4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन की विज्ञप्ति दिनांक 20-10-67 को हुई है । उक्त ग्राम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगन आदेश है । स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात् धारा–52 का प्रकाशन कराया जा सकेगा ।

जनपद फैजाबाद, क्षेत्र पंचायत तारून में विश्राम कक्ष के निर्माण की मांग

30—श्री सीताराम निषाद—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत तारून फैजाबाद में विश्राम कक्ष निर्माण कराने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1998-99 में इस हेतु धनराशि का आवंटन करेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा पद के दुरुपयोग/भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हेतु प्राप्त शिकायती पत्र

31—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने तथा वित्तीय अनियमितता व नियुक्तियों में की गई गड़बड़ी व भ्रष्टाचार संबंधी गम्भीर आरोपों के संबंध में श्रीमती निर्मला सिंह, सदस्य, जिला पंचायत, अम्बेडकर नगर का शिकायती पत्र दिनांक 2-2-94 आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही, अम्बेडकरगांव, अहमदपुर, फुलवरिया के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि शासनादेश के विरुद्ध अर्जित करने में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

32—श्री पूर्णमासी पंकज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित हुये परिवारों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा शासनादेश संख्या 20 (6)/95–226–रा–13 दिनांक 29 फरवरी, 1996 निर्गत किया गया है ? क्या उक्त शासनादेश में "यथा सम्भव अनुसूचित जाति दुर्बल व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित न की जाय" का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो क्या सन्त रविदास नगर भदोही के अम्बेडकर ग्राम अहमदपुर फुलवरिया के 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि शासनादेश के विरुद्ध अर्जित की गयी है ? क्या यह सत्य है कि स्थल निरीक्षण के बाद उप जिलाधिकारी, भदोही के पत्र संख्या 2027/एस०टी०–96 दिनांक 5-7-96 व अपर जिलाधिकारी के पत्र संख्या 359/एस०टी०–ए०डी०एम० दिनांक 2-2-98 तथा जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1173(आठ)वि०यू० अ०अ० (सं०सं०) दिनांक 13 नवम्बर, 1998 द्वारा स्पष्ट किया है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही औचित्यपूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों को सरकार दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जी हां, किन्तु शासनादेश में यह व्यवस्था है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में इनकी भूमि ली जानी आवश्यक हो, तो अर्जित भूमि पर निर्माण से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जाय, जिससे भूमि के बदले भूमि एवं प्रभावित परिवार को एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी दी जाय।

जी नहीं। कथित ग्राम के 82 अनुसूचित जाति के किसानों की अकृषिक, बंजर, ऊबड़-खाबड़, ककरीली-पथरीली, ऊंची-नीची शुरू से अपेक्षित भूमि प्रस्तावित योजना में दो गांवों की सम्मिलित भूमि के मध्य में अवस्थित होने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में अर्जन हेतु प्रस्तावित की गयी थी। शासन की नीति के अनुरूप बसाने एवं प्रभावित परिवार के एक योग्य व्यक्ति को यथा सम्भव नौकरी देने का लक्ष्य भी रखा गया है।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी, भदोही की रिपोर्ट दिनांक 5-7-96 में यह सूचित किया गया कि ग्राम–अहमदपुर फुलवरिया में ग्राम समाज की जमीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त ग्राम में जमीन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। हल्का लेखपाल/भूलेख निरीक्षक द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की आख्या को नायब तहसीलदार/तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं तत्पश्चात् दिनांक 25-3-97 को जिला अधिकारी, संत रविदासनगर को अग्रसारित किया गया। विचारोपरान्त जिलाधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा मुख्य शिकायतकर्ता राम वृक्ष एवं अन्य के शिकायत के संदर्भ में उप जिलाधिकारी, भदोही/अपर जिलाधिकारी,, संत रविदास नगर की आख्या को निराधार पाया गया तथा योजना की भूमि के अर्जन को सर्वथा वैध तथा औचित्यपूर्ण पाया।

पत्र दिनांक 13-11-98 जिलाधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल को प्रेषित किया गया था जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा तैयार कराया गया था। तथ्यों के प्रकाश में जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल को दिनांक 26-12-98 को दूसरी आख्या प्रेषित की गयी जिसमें जिलाधिकारी द्वारा भू-अधिग्रहण समस्त कार्यवाही को उचित पाया गया है।

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में शासन की नीति के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाकों में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

33—**श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह**–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी मगरौरा, आसपुर-देवसरा, पट्टी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु वर्ष 1990 से अब तक प्रश्नकर्ता के अनेकों दिये गये पत्र प्राप्त हुये ? उस पर शासन एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? क्या जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित भूखण्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो भूमि एवं प्रस्ताव का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां।

जी हां, पांच पत्र प्राप्त हुए।

भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी को पत्र भेजे गये हैं, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा, तहसील चरखारी, ग्राम भटेवरा कलां, में चकबन्दी के दौरान अनियमितता की शिकायत पर जांच कार्यवाही की मांग

34—श्री इन्द्रजीत सरोज तथा श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भटेवरा कलां, तहसील–चरखारी, जिला–महोबा में चकबन्दी के दौरान हो रही अनियमितताओं के संबंध में ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र के साथ चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 26 मई, 1997 में जिलाधिकारी, महोबा को जांच आख्या प्रेषित करने हेतु लिखा था ? क्या इसी संदर्भ में चकबन्दी आयुक्त द्वारा अपने पत्र सं० 17/प०सा०–7क/97, दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 में बन्दोबस्त अधिकारी, महोबा को जांच हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उसका परिणाम क्या है ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 26-5-97 पर जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी चरखारी से जांच कराकर ग्राम का कब्जा परिवर्तन कराया जा चुका है तथा प्रश्नगत पत्र 12-10-98 द्वारा ग्राम के अभिलेख निदेशालय स्तर से जांच कराने हेतु मंगाये गये थे जिसमे अभी जांच कराई जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग

35—श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् द्वारा विगत वर्षों में क्षेत्रीय किसानों के आवागमन के लिये जो पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाता था, पिछले दो वर्षों से उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

कुछ मार्गों का निर्माण चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत है । चयन अनुबन्ध के कार्यों को पूरा कराये जाने हेतु परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-1998 में लिये गये निर्णयानुसार यथास्थिति के आधार पर अन्तिम किया जाना है और अवशेष निर्माण कार्य निविदा आमंत्रित करके पूरा कराया जाना है, तद्नुसार कार्यवाही प्रचलित है !

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर की आसवनी रामपुर द्वारा विगत दो वर्षों में क्षमता से अधिक अल्कोहल के उत्पादन पर कार्यवाही की मांग

36—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर आसवनी रामपुर द्वारा विगत दो वर्षों में क्षमता से अधिक अल्कोहल का उत्पादन किया गया ? यदि हां, तो कितना ? क्या शासन द्वारा इस

संबंध में उक्त आसवनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां । रामपुर आसवनी, रामपुर द्वारा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में अपनी अनुज्ञापित क्षमता 335 लाख बल्क लीटर वार्षिक की तुलना में क्रमशः 379.06 लाख ब० ली० व 440.64 लाख ब० ली० अल्कोहल का उत्पादन किया है । अधिक उत्पादन करने के लिये आसवनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

मोहन मिकिन्स आसवनी, डालीगंज, लखनऊ द्वारा विगत दो वर्षों में क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर पेनाल्टी लगाने की मांग

37–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि मोहन मिकिन्स आसवनी डालीगंज, लखनऊ द्वारा विगत दो वर्षों में क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया है ? क्या सरकार द्वारा अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले उक्त आसवनी पर पैनाल्टी लगायी गयी ? यदि हां, तो कितना अभिकर/राजस्व वसूला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अनुज्ञापित क्षमता से अधिक उत्पादन के लिये आसवनी पर रु० 52,80,000 की पेनाल्टी आरोपित की गयी थी । आसवनी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका में वसूली स्थगित है ।

38–श्री राम अचल राजभर–

[दिनांक 25-2-99 को अता० प्र० सं०–172 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर, विकास खण्ड खुटहन, ग्राम पंचायत इमामपुर के ग्राम प्रधान के स्थान पर तीन सदस्यीय समिति नामित कर कार्यवाही की मांग

39–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र–खुटहन के ग्राम पंचायत–इमामपुर में ग्राम प्रधान के स्थान पर तीन सदस्यीय समिति नामित करने का निर्देश खण्ड विकास अधिकारी, खुटहन को पत्रांक 1163/7/पं०/जांच/98-99, दिनांक 2-7-98 द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर कब और कौन सी कार्यवाही हुयी ? तीन नामित सदस्यों के नाम क्या हैं ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? आगे कार्यवाही कब तक होगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय के पत्र संख्या–1637/पं०/जांच/98-99 दिनांक 2-7-98 द्वारा तीन सदस्यों का नाम प्रस्तावित कर भेजने का निर्देश दिया गया था ।

प्रकरण की पुनः जांच करायी गयी है । प्रस्तावित तीन सदस्यों के नाम निम्नवत् हैं :—

1–श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री लछिमन

2–श्री लखन पुत्र श्री बलई

3–श्री परमानन्द पुत्र श्री रामराज

प्रकरण की पुनः जांच करायी गयी । जांचोपरान्त प्रधान को निर्दोष पाया गया है । तदोपरान्त ग्राम पंचायत का प्रतिबन्धित खाता संचालित किया गया है ।

40–श्री राम अचल राजभर–

[दिनांक 25-2-99 को अता० प्र० सं०–172 द्वारा उत्तरित]

जनपद महराजगंज, बाजार मण्डी–बंसवार मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

41–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज में परतावल बाजार मण्डी के अन्तर्गत पी०इ०डी० रोड से बंसवार मार्ग लगभग 2 कि०मी० का वर्ष 1996-97 में निर्माण कराया गया है ? क्या उस सड़क की वर्ष 1998-99 में टी०ए०सी० से जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या अनियमितता पाई गयी है ? क्या उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1994-95 में केवल इण्टरटापकोट तक के कार्य कराये गये हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

30 जून, 99 तक

प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री अफजाल अहमद–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के चन्द्रशेखर आजाद पार्क (कम्पनी गार्डेन) को अन्यत्र बनाने की योजना की जानकारी

43–श्री रामकृपाल–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, इलाहाबाद का चन्द्रशेखर आजाद पार्क (कम्पनी गार्डन) हटाकर कहीं अन्यत्र बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब से प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

विकल्प स्वरूप इलाहाबाद में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नये स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की योजना है । इसके लिये प्रथम चरण में लीडर प्रेस के समीप 09 एकड़ भूमि खेलकूद विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कराने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व प्रश्नगत योजना को आरम्भ करने की तिथि को उद्घोषित किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, ताजमहल के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान भूमि के मालिकों को करने की मांग

44-श्री केशो मेहरा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा स्थित ताजमहल के चारों ओर हरित पट्टिका विकसित करने के लिये ताजमहल से 200 मीटर के अन्दर स्थित मौजा बसई मुस्तिकल खसरा नं० 26/4, 26/5, 30/2, 34, 37, 39/1 आदि की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो इसे सरकार द्वारा कब कब्जे में लिया गया ? क्या उक्त भूमि का प्रतिकर भूमि के मालिकों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अनुसार अर्जित की जा रही भूमि पर अर्जन निकाय (वन विभाग) का कब्जा हस्तगत नहीं कराया गया है ।

जी नहीं । धारा–9 के अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई की जा चुकी है । प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं । अर्जित भूमि का अभिनिर्णय घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को शीघ्र प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में भूमिहीनों को ग्राम समाज की बंजर भूमि के आवंटित पट्टों को खारिज करने की जानकारी

45-श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में आसामी पट्टों से पट्टेदारों को खारिज कर बेदखल किया जा रहा है ? क्या वर्ष 1996 से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की बंजर भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे ? क्या जिला प्रशासन द्वारा उक्त पट्टेदारों की भूमि को अब खारिज किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पंचायत मुरादाबाद, कांजी हाउस की भूमि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने सम्बन्धियों को अनियमित ढंग से आवंटन करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

46-श्री अकबर हुसैन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत, मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा स्थित कांजी हाऊस की भूमि जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपया है, को अनियमित ढंग से तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी ने दिनांक 6-5-97 को अपने संबंधियों को आवंटित कर दी है ? क्या उस पर अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य भी कराया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड विक्रमजोत, ग्राम–खरहटिया में तालाब की नवैयत बदलकर किये गये पट्टे को निरस्त करने की मांग

47–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–खरहटिया, ग्राम सभा–अतरौलाझाम, विकास खण्ड–विक्रमजोत, तहसील हरैया, जनपद बस्ती में श्रेणी "ख" जलमग्न भूमि (तालाब) की नवैयत बदलकर वर्ष 1996 में पट्टा किया गया है ? क्या उक्त में से कुछ लोग ग्राम पंचायत बेतावां में पहले से ही पट्टेदार हैं ? क्या यह भी सही है कि एक ही परिवार के तीन-तीन लोगों को पट्टा दिया गया है तथा एक नाबालिग के नाम भी पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पट्टों को तत्काल निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

इन आवंटनों के शीघ्र निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बांदा, ग्राम पंचायत गडरिया के ग्राम प्रधान द्वारा कराये कार्यों की जांच की मांग

48–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-1998 जो जनपद बांदा की ग्राम पंचायत गडरिया के प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जाँच जिला कार्यक्रम अधिकारी, बांदा एवं खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा द्वारा करायी गयी। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, तहसील घोसी, ग्राम लखनी मऊ–बलिया सरहद के चकरोड पर हुए अवैध कब्जे की पैमाइश की मांग

49–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी के मजरे बनहीं (चौहान–अनुसूचित जाति बस्ती के मध्य) मलेरीकोट–लखनी माइनर के टेल होते हुये ग्राम लखनी की मुख्य अनुसूचित जाति बस्ती से मऊ–बलिया सरहद तक जाने वाले चकरोड को किसानों द्वारा क्या अवैध रूप से जोतकर अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्थानीय नागरिकों के आवागमन की असुविधा को देखते हुए उक्त चकरोड की पैमाइश करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के अनुसार बैठक न होने से उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

50–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–61 (1) (2) के अनुसार बैठकें हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

धर्मपाल सिंह–

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में कुल 11 बैठकें अभी तक हो सकी हैं । अपरिहार्य कारणोंवश ग्राम प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार बैठकें नहीं हो सकी हैं ।

जिला पंचायत के संबंधित उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारी और तत्कालीन प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी को सचेत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदासनगर, विकास खण्ड भदोही के ग्राम अहमदपुर के लोगों को शासनादेश के विरुद्ध अधिग्रहीत भूमि का प्रकरण

श्री पूर्णमासी पंकज -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित हुये परिवारों को सुविधायें दिये जाने के संबंध में शासनादेश सं० 20 (6)/95-225-रा–13 दिनांक 29 फरवरी, 1996 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सन्त रविदास नगर भदोही के अम्बेडकर ग्राम अहमदपुर फुलवरिया के 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि शासनादेश के विरुद्ध अर्जित की गयी है ? क्या यह सत्य है कि स्थल निरीक्षण के बाद उप जिलाधिकारी, भदोही के पत्र संख्या 2027/एस०टी०–96 दिनांक 5-7-96 व अपर जिलाधिकारी के पत्र संख्या 359/एस०टी०–ए०डी०एम० दिनांक 2-2-98 तथा जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1173/अठ–नि०यू०अ०अ०(सं०सं०) दिनांक 13 नवम्बर, 1998 द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही अनुचित बतायी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों को सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह मिरोठा–

जी हां ।

जी नहीं । कथित ग्राम के 82 अनुसूचित जाति के किसानों की अकृषिक, बंजर, ऊबड़-खाबड़, कंकरीली पथरीली, ऊंची-नीची रूप से उपेक्षित भूमि प्रस्तावित योजना में दो गांवों की सम्मिलित भूमि के मध्य में अवस्थित होने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में अर्जन हेतु प्रस्तावित की गयी थी । शासन की नीति के अनुसार बसाने एवं प्रभावित परिवार के एक योग्य व्यक्ति को यथा सम्भव नौकरी देने का प्रयास किया गया है ।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी, भदोही की रिपोर्ट दिनांक 5-7-96 में यह सूचित किया गया कि ग्राम–अहमदपुर फुलवरिया में ग्राम समाज की जमीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । अतः उक्त ग्राम में जमीन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । हल्का लेखपाल/भू-लेख निरीक्षक द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की आख्या को नायब तहसीलदार/तहसीलदार/उप जिला अधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं तत्पश्चात् दिनांक 25-3-97 को जिलाधिकारी, संत रविदास नगर को अग्रसारित किया गया । विचारोपरान्त जिलाधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा मुख्य शिकायतकर्ता राम वृक्ष एवं अन्य के शिकायत के संदर्भ में उप जिला अधिकारी, भदोही/अपर जिलाधिकारी, संत रविदास नगर की आख्या को निराधार पाया गया तथा योजना की भूमि के अर्जन को सर्वथा वैध तथा औचित्यपूर्ण पाया ।

पत्र दिनांक 13-11-98 जिलाधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल को प्रेषित किया गया था, जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संत रविदास नगर द्वारा तैयार कराया गया था। तथ्यों के प्रकाश में जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल को दिनांक 26-12-98 को दूसरी आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा भू-अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को उचित पाया गया है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

52-श्री राम शंकर पाल–

[6वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर में भूदान समिति द्वारा कथित ग्रामों में दिये गये पट्टों के नामांकन करने की जानकारी

53—श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूदान समिति द्वारा जनपद जौनपुर में दिनांक 29-10-1954 को ग्राम बरगांव, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में 30 व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो उसका नामांकन कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज में भूदान समिति को दान में मिली भूमि का विवरण

54—श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मेहरावां, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर में कितनी भूमि भूदान समिति को श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे (राजा जौनपुर) द्वारा दान में मिली है ? क्या दान में मिली भूमि पर भूदान समिति का नाम अंकित हो गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा, पशुपालन महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों का विनियमितीकरण करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

55-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के पशुपालन महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों का विनियमितीकरण करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–2/19673/मथुरा/99, दिनांक 17-1-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

उक्त महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों को विनियमित करने की कोई नियमावली प्रख्यापित नहीं हुई है। नियमित नियुक्ति हेतु उक्त महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के अपेक्षित संख्या में पद भी उपलब्ध नहीं हैं जिससे इनका विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

56–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–2/19844/मथुरा/99, दिनांक 22-1-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक चकबन्दी मथुरा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जनपद लखनऊ, ब्लाक चिनहट, गोहलिया, नरेंदी ग्रामों के सार्वजनिक मार्गों एवं गोहलिया तालाब पर अनाधिकृत कब्जों सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

57–श्री शिवचरन प्रजापति–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक चिनहट, लखनऊ की ग्राम सभा अनौरा कला के ग्राम प्रधान श्री कृष्ण पाल सिंह का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 19-12-98 जो गांव–गोहलिया नरेंदी ग्रामों के सार्वजनिक मार्गों एवं गोहलिया तालाब पर किये जा रहे अनाधिकृत कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा पत्र में वर्णित अनाधिकृत कब्जों को हटवाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

ग्राम नरेन्दी के तालाब पर एक विस्वा चार विस्वांसी पर श्री मिश्री लाल पुत्र गंगा प्रसाद निवासी गोहलिया तथा एक विस्वा 15 विस्वांसी पर राम स्वरूप पुत्र मिश्री लाल निवासी गोहलिया का अवैध कब्जा है जिसे हटवाने के लिये दोनों के विरुद्ध उ० प्र० ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 ख के अन्तर्गत तहसीलदार, सदर, लखनऊ के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा, ग्राम सभा सफदरपुर, विकास खण्ड छपिया में विकास कार्यों पर व्यय के विवरण की जानकारी

58–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा सफदरपुर विकास खण्ड छपिया, जनपद गोण्डा को वित्तीय वर्ष 1997-98 व 1998-99 में विकास कार्य हेतु कितना रुपया दिया गया है और कितना-कितना निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला शौचालय का ग्रामवार निर्माण कराने की मद में कितना पैसा दिया गया है तथा कितना निर्माण कराया गया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

दशम वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में 17016.00 रु० की धनराशि ग्राम सभा सफदरपुर, विकास खण्ड छपिया को दिया गया है। दिये गये धनराशि के सापेक्ष खड़ंजा/नाली व कूप मरम्मत कार्य कराकर सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभा सफदरपुर को वित्तीय वर्ष 1997-98 में 34755-00 रु० तथा वर्ष 1998-99 में 41897-00 रुपया कुल 76652-00 रुपया ग्राम सभा सफदरपुर को उपलब्ध कराया गया है जिससे खड़ंजा/नाली निर्माण व कूप मरम्मत व सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य पर व्यय कर सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है।

उक्त ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में महिला शौचालय निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 1997-98 व 98-99 में कोई भी धनराशि पंचायत राज विभाग से नहीं दी गई है, कारण यह है कि धनराशि केवल अम्बेडकर/गांधी ग्रामों के लिये ही दी जानी थी। उल्लेखनीय है कि यह ग्राम सभा इस श्रेणी में नहीं आती।

59–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–157 द्वारा उत्तरित]

60–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–10 द्वारा उत्तरित]

उद्योग विभाग के कथित पदों के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान में विलम्ब हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61–डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 2864/18–1–98–25 (116)/98 दिनांक 10-11-98 द्वारा उद्योग विभाग के कतिपय पदों के पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर भुगतान (1-1-96 से 11-12-97 तक) कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब हेतु दोषी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद श्रावस्ती, जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान विलम्ब से किये जाने का प्रकरण

62–डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र जनपद-श्रावस्ती के कर्मचारियों के माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1998 तक के वेतन का भुगतान दिनांक 12-01-99 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये उत्तरदायी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

(क) जी नहीं। माह सितम्बर, 98 से दिसम्बर, 98 तक के बकाये वेतन का भुगतान दिनांक 27-2-99 तक किया गया।

(ख) आय-व्ययक में व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण टी०आर०–27 के अन्तर्गत अग्रिम आहरण कर बकाये वेतन का भुगतान किया गया, जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग निदेशालय तथा समस्त जिला उद्योग केन्द्रों पर स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या एवं उसको भरने की मांग

63—डा० वकार अहमद शाह—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 3028/18–2–97–257–3-1-97 दिनांक 24-10-97 द्वारा उद्योग निदेशालय तथा उ० प्र० के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु कुल कितने महाप्रबन्धकों तथा प्रबन्धक ऋण, प्रबन्धक तकनीकी, प्रबन्धक विपणन, प्रबन्धक परियोजना के पद स्वीकृत हैं ? उसमें से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त महाप्रबन्धकों एवं प्रबन्धकों के पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०—

शासनादेश संख्या–3028/18-2-97-527.3.1/97. दिनांक 24-10-97 द्वारा उद्योग निदेशालय तथा प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (ऋण), प्रबन्धक (तकनीकी), प्रबन्धक (विपणन) तथा प्रबन्धक परियोजना का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ प्रभावित लोगों/नाविकों के बकाया कथित मजदूरी हेतु आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

64–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-98 जो अगस्त, 1998 में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों एवं उनके नाविकों की बकाया मजदूरी रु० 17,600/- दिलाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जनपद बांदा के अवगासी घाट से प्राप्त 20 नावों/नाविकों में से 16 नाव जनपद–गोरखपुर एवं 4 नाव जनपद देवरिया में राहत कार्य हेतु लगायी गयी थी । जनपद बांदा के जिला अधिकारी के अनुरोध पर जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को नाविकों के भुगतान हेतु रु० 2,50,000/- की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दि० 2-9-98 को उपलब्ध करा दिया गया । इसी प्रकार 4 नावों/नाविकों की मजदूरी/किराया के मद में जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा नाविकों को रु० 24,000/- का भुगतान कर दिया गया है । अवशेष के संबंध में जिलाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया द्वारा जिलाधिकारी, बांदा से पत्राचार किया जा रहा है । यदि जिलाधिकारी बांदा से अवशेष की कोई सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद बदायूं, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधीन फल/सब्जी मण्डी को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरित करने की मांग

65–श्री रिफाकत हुसैन चौधरी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बदायूं में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधीन फल एवं सब्जी मण्डी शहर से नवीन मण्डी स्थल बदायूं में स्थानान्तरित की गयी थी ? क्या उक्त मण्डी पुनः शहर में ही लगायी जा रही है जिससे मण्डी समिति को प्रतिदिन दस हजार रुपये का नुकसान हो रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, मण्डी शहर में नहीं लगायी जा रही है अपितु फल एवं सब्जी के कुछ व्यापारी अभी शहर में कार्य कर रहे हैं ।

प्रश्नगत मण्डी को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरित किया जा चुका है । कुछ निर्माण कार्य अवशेष हैं उसके पूर्ण होने पर समस्त व्यापार नवीन मण्डी स्थल में प्रारम्भ हो जाएगा । अतः अव आदेश देने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत जलिहापुर के रास्ते पर हुए अवैध कब्जे का प्रकरण

66–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जलिहापुर में ग्राम के कुछ लोगों द्वारा आम रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रास्ते को खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट, तहसील कर्वी की कृषि उत्पादन मण्डी समिति को "ए" श्रेणी में किये जाने की मांग

67–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति "बी–श्रेणी" में घोषित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या अभी तक इस मंडी को खाद्य मंत्रालय द्वारा "बी" श्रेणी जैसी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनपदीय स्तर की मंडी होने तथा कृषि उपज आवक में वृद्धि के आधार पर उसे "ए" श्रेणी में किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति कर्वी को वर्ग "ख" की मण्डी घोषित किया गया है ।

शासन के खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किये गये वर्गीकरण में कर्वी, जनपद–चित्रकूट को श्रेणी "अन्य" में रखा गया है अतः उसे खाद्य विभाग से श्रेणी "बी" की सुविधाएं अनुमन्य नहीं हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68–श्री चेतराम–

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित ।

राम गंगा से कटी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

69–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-6-98 या इसके आसपास जो राम गंगा नदी से कटी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम दुरामऊ में खलिहान की भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा कर देने की शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

70–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित जगदेव पासी, ग्राम–दुरामऊ, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 12-1-99 जिसमें दो गांवों की आबादी के बीच कृषि की अनुपयोगी भूमि पर कुछ अनुसूचित जाति के मकान, खलिहान एवं होलिका दहन का भी कार्य होता था, को ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा देने तथा कुछ अन्य प्रधान द्वारा जोत लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पट्टे को कृषि योग्य भूमि से स्थानान्तरित कर निरस्त करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, किन्तु प्रार्थना-पत्र में प्रधान व अन्य लोगों द्वारा जोत लेने की शिकायत नहीं की गई है।

नायब तहसीलदार जामों द्वारा प्रकरण की जांच की गई । गाटा सं०–806 स्थित ग्राम दुरामऊ भू-अभिलेख में दीगर बंजर के रूप में दर्ज है । इस पर मकान तथा खलिहान नहीं पाया गया । होलिका दहन का स्थान सुरक्षित है उसका पट्टा नहीं किया गया है । भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 22-6-97 को पारित किया गया जिसे उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 25-3-97 को स्वीकृत किया गया और तीन व्यक्तियों को पट्टा दिया गया जिसे पट्टेदारों का कब्जा होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता द्वारा पट्टेदार श्री रामकिशन व राजपती निवासी दुरामऊ का भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था जिसे हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, निरस्त न करने के कारण

उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को पट्टे की भूमि पर 122 की कार्यवाही हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम प्रताप पाण्डे निवासी ग्राम पूरेजिया जामों सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक

8-1-99 जो पट्टे की भूमि पर 122 बी की कार्यवाही करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, किन्तु संदर्भित पत्र दिनांक 8-1-99 का नहीं बल्कि 3-1-99 का है ।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि रंजिश के कारण उनके विरुद्ध 122 बी की कार्यवाही की गई है किन्तु जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रार्थी द्वारा रास्ता सं०–2852 स्थित ग्राम जामों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था जिसके कारण उनके विरुद्ध 122 बी की कार्यवाही की गई । इस सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 4-12-98 को बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील सदर के ग्राम ढेकाही के ग्राम प्रधान द्वारा नाबालिगों के नाम पट्टा करने के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

72–श्री सतीश जतारिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के सदर ब्लाक की ग्राम सभा ढेकाही में ग्राम प्रधान द्वारा श्री गुड्डू पुत्र श्री रामखेलावन सिंह को नाबालिग होने के बाद भी पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या श्री रामखेलावन पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल सिंह के नाम कोई जमीन नहीं है ? यदि हां, तो उनके दो पुत्रों को पट्टा किन नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया गया ? नियमों के विपरीत इन्हें पट्टा देने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम खेलावन पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में 0–9–12 भूमि अंकित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के प्रसिद्ध जैन तीर्थ हस्तिनापुर को व्यसन रहित क्षेत्र घोषित करने की मांग

73–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतहासिक तथा प्रसिद्ध जैन तीर्थ हस्तिनापुर जनपद मेरठ को क्या मादक पदार्थ एवं व्यसन रहित क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस तीर्थ के प्रति जनभावनाओं को देखते हुये व्यसन रहित क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

व्यसन रहित क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद अम्बेडकरनगर, विकास खण्ड भीटी, ग्राम पंचायत इटवा की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

74–श्री धर्मराज निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत इटवा (तेजापुर) वि०खं० भीटी जनपद अम्बेडकरनगर में ग्राम समाज की कितनी भूमि है ? उसमें कितने पर अवैध कब्जा हैं ? ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत इटवा (तेजापुर) विकास खण्ड भीटी, जनपद–अम्बेडकरनगर में 42.388 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि है, जिसमें से 7.346 पर अवैध कब्जा है। धारा 441 व 447 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही एवं धारा 122 बी० जेड० ए० के अन्तर्गत बेदखली की विधिक कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की माँग

75–श्री राम कृपाल–

क्या संस्कृति कार्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी का पद विगत एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त है, जिससे महत्वपूर्ण अभिलेखों की देख-रेख व सुरक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी का पद पदोन्नति से भरा जाना है। पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने तक उक्त पद का कार्य सुश्री रेखा त्रिवेदी, उप निदेशक, राजकीय अभिलेखागार द्वारा अपने पद के अतिरिक्त जनवरी, 99 से इलाहाबाद में तैनात विभागीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डा० ओ० पी० एल० श्रीवास्तव को अपने पद के अतिरिक्त प्रश्नगत पद का कार्य देखने हेतु अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा अभिलेखों की देखरेख व सुरक्षा समुचित रूप से की जा रही है। राजकीय अभिलेखागार सेवानियमावली के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ० प्र० के माध्यम से रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के तहसील भवन का निर्माण कराने की मांग

76—श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलरामपुर के तहसील के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित होने के बावजूद निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी वर्ष तहसील भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अनावासीय भवन निर्माण हेतु रु० 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वांछित भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

यथाशीघ्र वांछित आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।

77—श्री कमलेश कुमार सिंह–

[6वे मंगलवार में अता० प्र० सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावां को जिला बनाये जाने हेतु प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या–सी 10016308 पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/16308/ हरदोई 98 जो कि दिनांक 21-9-98 को प्रमुख सचिव, राजस्व एवं अभाव को एवं इसी सम्बन्ध में क्रमांक 13 व 14 पर कम्प्यूटर संख्या सी 10017460 पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–3/17460/हरदोई/98 एवं सं० 10017587, पत्र संख्या–सी०एम०/ वि०को०/एम–1/17587/ हरदोई/98 जो, मल्लावां को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में था, दिनांक 24-10-98 एवं 29-10-98 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त मल्लावां को जिला बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद सोनभद्र, विकास खण्ड म्योरपुर, ग्राम सभा जरनी में पत्थर (बोल्डर) की सप्लाई कर खड़ञ्जा निर्माण के संबंध में सक्षम अधिकारी की अनुमति/निविदायें प्राप्त करने की जानकारी

79–श्री विजय सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर की ग्राम सभा जरनी के खड़ञ्जा निर्माण में किस स्थानीय सप्लायर ने किस तारीख से पत्थर (बोल्डर) सप्लाई किया था ? क्या उक्त सप्लायर को टेन्डर या वर्क आर्डर पर कार्य दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी सूचना कब और किस पेपर में प्रकाशित की गयी थी और कितनी निविदायें प्राप्त हुई थीं ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

संजय कुमार अग्रहरि ट्रांसपोर्टर एवं सिविल सप्लायर म्योरपुर ने दिनांक 6-6-97, 7-6-97, 17-6-97, 27-6-97 व 5-2-98 को पत्थर (बोल्डर) सप्लाई किया था।

नहीं। कोटेशन के माध्यम से न्यूनतम दर पर पत्थर सप्लाई किया गया था। निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी थी। स्थानीय आपूर्ति कर्ताओं से कोटेशन प्राप्त करके न्यूनतम भाव को स्वीकार किया गया था।

ग्राम पंचायत ने बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्न दर कोटेशन पर पत्थर क्रय करके खड़ंजा निर्माण का कार्य पूर्ण किया है। अतएव टी० ए० सी० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गोरखपुर, विधान सभा क्षेत्र मानीराम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सरकारी ऋणों की वसूली स्थगित करने की मांग

80–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे मानीराम विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित किसानों, मजदूरों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकारी ऋणों की वसूली स्थगित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रभावित कृषकों को राहत देने हेतु कृषि देयों से सम्बन्धित भू-राजस्व माफ किया गया है। सरकारी ऋणों की वसूली स्थगित किया जाना सम्भव नहीं है।

जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित तथा पंचायती राज एवं कृषि आयुक्त को प्राप्त जांच आख्या पर कार्यवाही

81–श्री राजधारी –

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, पंचायती राज के पत्रांक–3998/33–2–98/100(23)/98 दिनांक 8-9-98 के अनुपालन में जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित जांच आख्या पत्रांक–201/पी०ए० दिनांक 30-9-98 व 204/1 पी०ए० दिनांक 4-10-98 सचिव, पंचायती राज एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या 3998/3-2-98–100(23)/95, दिनांक 08-09-98 के क्रम में जिलाधिकारी, सहारनपुर से जांच आख्या प्राप्त हुई है।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान के अपरनिदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

82—श्री हरपाल सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में अपर निदेशक का पद कितने वर्षों से रिक्त है ? क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर उपरोक्त संस्थान में अपर निदेशक के पद पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

प्रश्नगत पद वर्ष 1994 से नियमित रूप से चयनित अधिकारी के अभाव में रिक्त चल रहा है, परन्तु अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पद का कार्यभार सक्षम अधिकारी द्वारा अतिरिक्त रूप से देखा जा रहा है।

जी नहीं।

सेवा नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अन्तर्गत अपर निदेशक, पशुपालन के पद को निर्धारित संख्या के पात्र संयुक्त निदेशक व उप निदेशकों में से योग्यता के आधार पर किये गये चयन से भरे जाने का प्राविधान है।

जनपद सीतापुर, कस्बा लहरपुर में नवनिर्मित मण्डी को चालू कराने की मांग

83— श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के कस्बा लहरपुर में गत वर्षों में मण्डी का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां,तो इसे चालू न करने का क्या कारण है ? इस मण्डी का संचालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही, तहसील ज्ञानपुर, ग्राम सभा जोहरपुर की जलमग्न भूमि का आवंटन अपात्र व्यक्तियों को करने पर कार्यवाही

84—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मा० राज्य मंत्री, सहकारिता के पत्रांक 1303 वी० आई० पी०/रा०म०स०/97, दिनांक 21-8-97 जो जिलाधिकारी, भदोही को सम्बोधित है और जो तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सभा जोहरपुर में स्थित जलमग्न भूमि को अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

85—श्री प्रदीप कुमार—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान,पशुपालन विभाग, लखनऊ में लघु पशु गृह में डा० आर० के० गुप्ता कितने वर्षों से तैनात हैं ? इनके विरुद्ध माननीय विधायकों के अक्टूबर, नवम्बर, 1998 में कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए? उन शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, लखनऊ में डा० आर० के० गुप्ता 25 वर्षों से पशु चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात हैं ।

इनके विरुद्ध माननीय विधायकों से अक्टूबर, नवम्बर, 1998 में कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में 5-6 वर्षों से कार्यरत तहसीलदारों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना

86—श्री अकबर हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के अन्तर्गत कितने तहसीलदार ऐसे हैं जो लगभग 5-6 वर्षों से लगातार एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद लखनऊ में केवल एक तहसीलदार श्री श्याम कुमार भट्ट वर्ष 1989 से विभिन्न पदों पर (नायब तहसीलदार/अपर तहसीलदार/तहसीलदार सदर, लखनऊ के पदों पर) कार्यरत हैं । यह वर्तमान समय में तहसीलदार के पद पर दिनांक 31-8-97 से कार्यरत है ।

श्री श्याम कुमार भट्ट तहसीलदार का स्थानान्तरण इस स्थानान्तरण सत्र में किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़/लघु उद्योगों की सुविधा हेतु भूखण्डों का आवंटन एवं ऋण की सुविधा

87—श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ ने लघु उद्योगों की सुविधा हेतु विधायक श्री अफजाल अहमद के पत्र पर कोई निर्देश संयुक्त उद्योग निदेशक, आजमगढ़ को पत्रांक 8053 दिनांक 26-11-96 द्वारा दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम–

जी, हां ।

औद्योगिक आस्थान, सिद्दीकपुर, जौनपुर में कुल 32 भूखण्ड हैं, जिसमें से 27 भूखण्डों का आवंटन हो चुका है एवं 5 भूखण्डों का आवंटन शेष है ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में बैंकों द्वारा 5 महिलाओं व 20 अल्पसंख्यकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तत्कालीन सांसद मा० श्री यादवेन्द्र दत्त के पत्र में अंकित शिकायतों की जांच पर कार्यवाही की मांग

88—श्री बांकेलाल सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम अवध उपाध्याय पुत्र चन्द्रबली उपाध्याय ग्राम मेहरावां, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की चक नं० 144 में 0–77 डि० रकबा कम दर्शाया था ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राम अवध उपाध्याय पुत्र चन्द्रबली उपाध्याय के चक सं०–144 के मूल गाटा सं०–142/3 क्षेत्रफल 4/65 एकड़ खतौनी में दर्ज था जो मौके पर क्षेत्रफल 4–10 एकड़ उपलब्ध था तथा चक में ग्राम समाज का प्रदिष्ट गाटा सं०–146 का खतौनी में 0–52 एकड़ दर्ज था परन्तु मौके पर 0–30 एकड़ उपलब्ध था । गाटा सं०–142/3 में क्षेत्रफल 0–55 एकड़ स्वयं का मूल रकबा तथा शेष क्षेत्रफल 0–22 एकड़ ग्राम समाज का कम था । इस प्रकार चक संख्या क्षेत्रफल 0–77 एकड़ अभिलेखों के अनुसार कम प्रदिष्ट होना पाया गया था ।

उक्त चक में जो 0–77 एकड़ क्षेत्रफल कम होना पाया गया था उसमें 0–55 एकड़ स्वयं का मूल कम था जो दिया जाना उचित नहीं है । शेष जो ग्राम समाज का गाटा सं०–146 प्रदिष्ट किया गया

था । 0–22 एकड़ रकबा कम था उसके बदले में मूल्यांकन के आधार पर 0–19 एकड़ क्षेत्रफल संदर्भ संख्या 490 अन्तर्गत धारा 48(3) जोत चकबंदी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 17-7-98 से प्रदिष्ट कर दिया गया है । ग्राम का धारा–52 का प्रकाशन हो चुका है । इस सम्बन्ध में क्षेत्रफल सम्बन्धी आदेश वर्ष 1982 में पारित किया गया है । आदेश पारित करने वाले अधिकारी के नाम की जानकारी की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, जिला पशु चिकित्सालय में जर्सी, फ्रिजियन सांड तथा पैथालोजी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु धन के आवंटन की जानकारी

89—श्री अफजाल अहमद–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में स्थित जिला पशु चिकित्सालय में जर्सी व फ्रिजियन सांड़ एवं पैथोलाजी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कोई धन का आवंटन 1 जनवरी, 1997 से 31 अक्टूबर, 1998 के मध्य किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? उक्त का भौतिक सत्यापन कब और किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

केवल पैथालोजी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु धन का आवंटन किया गया है ।

जिला पशु चिकित्सालय, जौनपुर में पैथालोजी प्रयोगशाला के निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जौनपुर की अवस्थापना मद से 5.90 लाख रुपया दि० 26-3-97 को स्वीकृत हुआ है ।

पैथालोजी प्रयोगशाला के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, अतः भौतिक सत्यापन कराये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

पंजीकृत गौशालाओं की दयनीय स्थिति सुधारने/अच्छी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने की मांग

90— स्वामी ओइम्वेश–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकृत गौशालाओं की दयनीय स्थिति के सुधार के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार प्रत्येक गौशाला को अनुदान देने तथा गायों की नस्ल सुधारने हेतु अच्छी नस्ल के सांड भी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

केवल ऐसी पंजीकृत गोशालाएं जो नस्ल सुधार कार्यक्रम करना चाहती हैं, को ही अनुदान एवं सांड उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है ।

मण्डी परिषद् द्वारा जनपदों में पुनः सड़क निर्माण के कार्य शुरू करने की जानकारी

91—स्वामी ओइमवेश–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मण्डी परिषद् द्वारा जनपदों में सड़क निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मण्डी परिषद् से पुनः सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

मण्डी परिषद् द्वारा सड़क निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है। अतः निर्माण कार्य पुनः शुरू कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद महोबा, कृषि मण्डी में दलाली प्रकरण की जांच की मांग

92—श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद महोबा में कृषि मण्डी में दलाली के द्वारा आज भी किसान को गेहूं बेचने के लिये मजबूर किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

महोबा में कृषि मण्डी में दलाली के द्वारा किसानों को बेचने के लिए विवश किये जाने से सम्बन्धित कभी कोई ऐसा प्रकरण/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मण्डी परिषद् निर्माण सेल सीतापुर/लखीमपुर के उप निदेशक (निर्माण) के कार्यों की स्पेशल आडिट पर जांच/कार्यवाही की जानकारी

93—श्री मोतीलाल पैलवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् के निर्माण सेल सीतापुर, लखीमपुर में कार्यरत उप निदेशक (निर्माण) श्री शिव बहादुर वर्मा द्वारा लखनऊ मंडी का लगभग 20.25 लाख रुपये की मिट्टी भराई घोटाले के संबंध में पूर्व निदेशक, मंडी परिषद् ने इनके कार्यकाल के 5 वर्षों की स्पेशल आडिट कराई है ? क्या उक्त आडिट में कोई अनियमितता पायी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां। परन्तु लखनऊ मण्डी के 20–25 लाख मिट्टी भराई घोटाले सम्बन्धी यह स्पेशल अडिट नहीं था अपितु श्री शिव बहादुर वर्मा, उप निदेशक (निर्माण) के लखनऊ निर्माण खण्ड कार्यकाल में 5 वर्षों का स्पेशल आडिट करवाया गया।

जी हां।

इस स्पेशल आडिट के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुपालन आख्या मांगी गयी तथा इस आडिट में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं पर संयुक्त निदेशक (निर्माण) से प्रारम्भिक जांच करवाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत राज अधिकारी के आरोपों की जांच तथा इससे सम्बन्धित पत्रावली गायब करने पर कार्यवाही की मांग

94—श्री राम विशुन आजाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्यों भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष मोर्चा, बाराबंकी द्वारा श्री कपिल अस्थाना, जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी के आर्थिक एवं प्रशासनिक

भ्रष्टाचार के विरोध में दिनांक 20 अगस्त, 1997 को 19 सूत्रीय आरोपों का ज्ञापन जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? क्या आरोपों की जांच कर जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जांच पत्रावली आरोप पत्र सहित जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिनांक 16 अप्रैल, 1998 को भेजी गयी थी ? क्या उक्त जांच पत्रावली गायब करा दी गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सितम्बर, 97 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति के आधार पर आरोप पत्र गठित कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के प्रबन्धक, उप दुग्धशाला, विकास अधिकारी द्वारा कथित अनियमितता की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

95—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-98 या इसके आसपास जो श्री ए० सी० मिश्रा, प्रबन्धक, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं में धन के दुरुपयोग को रोके जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (श्री जयपाल सिंह)–

जी हां ।

शिकायतों की जांच के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती मेहताब बानो, थाना मुगलपुर, जनपद मुरादाबाद की भूमि को फर्जी तौर पर हड़पने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर जांच आख्या की जानकारी

96—श्री अकबर हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीवान शुगर मिल, मुरादाबाद का निर्माण जिस भूमि पर किया जा रहा है, के संबंध में श्रीमती मेहताब बानो पत्नी स्व० श्री नादिर अली निवासिनी थाना मुगलपुरा, अन्तर्गत लाकड़ी बागान जो उक्त भूमि 120 बीघा की मालिक व काबिज हैं, ने फरवरी, 1998 में जनता दरबार में की गयी उक्त भूमि को फर्जी तौर पर हड़पने संबंधी शिकायत पर उनके द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद को एक सप्ताह में जांच कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जांच आख्या शासन को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, प्रबन्धक, दुग्ध संघ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

97—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या दुग्ध विकासमंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-97 या इसके आसपास जो प्रबन्धक, दुग्ध संघ, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमित कार्यों की जांच

के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-97 प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता के चयन में अनियमितताओं की शिकायत

98—श्री राम स्वरूप सिंह तथा श्री परवेज हलीम खां–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1990 में उप आबकारी निरीक्षक पद पर चयन हेतु सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विज्ञापित 34 पदों पर चयन एवं चयनोपरान्त नियुक्तियों में बरती गयी अनियमितताओं के संदर्भ में मा० सांसद डा० अशोक कुमार पटेल का पत्र दिनांक 13-6-98 मा० मुख्य मंत्री एवं आबकारी मंत्री को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां । प्रश्नगत चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, गोवर्धन में डी० ए० पी० खाद उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

99—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में डी० ए० पी० खाद उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/18173/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जनपद मथुरा में डी० ए० पी० के लक्ष्य 15150 मै० टन के विरुद्ध दिनांक 31-12-98 तक 8051 मै० टन तथा दिनांक 28-2-99 तक 12681 मै० टन उपलब्ध करायी जा चुकी है जो निर्धारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय, लखनऊ के श्री मोती लाल, लेखाकार द्वारा निरन्तर अनुपस्थित रहने की दशा में सेवाएं समाप्त किये जाने की जानकारी

100—डा० कौशल किशोर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार दिनांक 11-2-99 के अता० प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि "भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा श्री मोतीलाल, लेखाकार के विरुद्ध प्राप्त तथाकथित शिकायत पर जांच कराने तथा इनका स्थानान्तरण रोक देने के आदेश दिये गये थे", का उल्लेख प्रश्नोत्तर में किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश दिनांक 2 मई, 1988 के अनुपालन में जांच के दौरान श्री मोतीलाल को पुनः कार्यभार ग्रहण करने के लिये भी आदेशित किया गया ? यदि हां, तो कब तथा श्री मोतीलाल को वह आदेश कब प्राप्त कराया गया ? यदि नहीं, तो श्री मोतीलाल को कार्यभार न ग्रहण करने के आरोप में नौकरी से कैसे हटा दिया गया ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निरन्तर 5 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 26-12-92 द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त की गयीं ।

मे० कुंवरपाल, इस्लामनगर, बदायूं द्वारा मण्डी परिषद् लखनऊ के अनुबन्ध संख्या 801 व 852 में कृत कार्यों के भुगतान में विलम्ब के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

101—श्री संजय सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के लिये निर्धारित पहले गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या–102 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मे० कुंवरपाल द्वारा दिनांक 7-1-95 को मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद्, लखनऊ को दिये गये पत्र में वर्णित भुगतान के आंशिक भुगतान हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, श्री कुंवरपाल गुप्ता द्वारा नियमानुसार कराये गये कार्यों के भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं । अनुबन्ध निरस्त होने के कारण भुगतान में तकनीकी रुकावट है ।

प्रकरण की जांच आख्या के आधार पर लिये गये निर्णय के उपरान्त जो भी नियमानुसार धनराशि देय होगी, उसके भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां, ग्राम मइला का नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

102—श्री सन्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–मइला, तहसील–सहजनवां, जनपद–गोरखपुर का नाम परिवर्तन संबंधी श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 23-6-98 जो मा० मुख्य मंत्री को प्रेषित एवं उनको पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का पत्र दिनांक 23-6-98 प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है । उनका इस विषय में एक पत्र दिनांक 17-12-97 प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव का परीक्षण कराकर उचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां, ग्राम मइला में मत्स्य पालन हेतु पट्टा न कर अवैध कब्जा सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

103—श्री सन्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां के राजस्व ग्राम–मइला स्थित तालाब आराजी संख्या 343 मत्स्य पालन हेतु नीलामी/पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आराजियात के पट्टा हेतु चार बार सूचना प्रसारित कर पट्टा न करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त तालाब सं०–343 पर अवैध कब्जा सम्बन्धी श्री विनोदमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा का

पंजीकृत पत्र सं० 4756, दिनांक 30-10-98 जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्नगत तालाब के पट्टा हेतु चार बार सूचना प्रसारण के पश्चात् भी इच्छुक व्यक्ति के न मिलने के कारण पट्टा/नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

जी हां।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच राजस्व निरीक्षक से करायी गयी जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि पोखरी पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है और पोखरी मौके पर खाली है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां, ग्राम पनिका में आवासीय पट्टे पर कब्जा किये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

104—श्री सन्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां के राजस्व ग्राम–पनिका के आराजी सं० 59, 112 एवं 160 से आवासीय पट्टे पर कब्जा न दिये जाने संबंधी मा० राम बाबू हरित, सदस्य, विधान सभा का पत्रांक 313/सभा/अ०जा०स०/99, दिनांक 31-8-98 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत कब्जा हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवैध कब्जा धारक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त आवंटन के विरुद्ध आवंटियों को पक्ष बनाते हुए श्री विश्वदेव आदि ने सक्षम न्यायालय में नियम 115 पी० के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण वाद दायर किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा "अग्रिम आदेश तक पक्षगण मौके पर यथास्थिति बनाये रखें" का आदेश दिनांक 19-7-95 को पारित किया गया, जो अब भी प्रभावी है। जी नहीं, अन्तरिम आदेश के प्रभावी होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार सम्भव नहीं है।

105—श्री बनारसी दास चांदना–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद संत रविदास नगर, तहसील भदोही में औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि के परिवारों को शासनादेश अनुसार नौकरी दिलाने की मांग

106—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित हुए परिवारों को सुविधायें दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 20(6)/95–226–रा–13 दिनांक 29 फरवरी, 1996 में क्या यह व्यवस्था दी गयी है कि जिन व्यक्तियों की भूमि ली जाय उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था तुरन्त की जाय तथा ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार उन परियोजनाओं में नौकरी अनिवार्य रूप से दी जाय ? यदि हां, तो जनपद संत रविदास नगर, भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा अब तक कितने किसानों की भूमि

अधिग्रहीत की गयी है और कितने परिवार को बीडा द्वारा नौकरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद संत रविदास नगर में प्रश्नगत औद्योगिक योजना में कुल 4 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसमें 202 किसान प्रभावित हो रहे हैं । बीडा द्वारा तैयार किये गये पैकेज प्लान के अनुसार प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता, अर्हता एवं अनुभव के आधार पर नौकरी दिलाने की व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों से कराये जाने का प्रयास किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि बीडा मात्र एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है अतः अवस्थापनागत सुविधायें मुहैया कराने के अतिरिक्त इसका अपना कोई उद्योग/फैक्ट्री चलाने का कार्य नहीं है ।

संदर्भित योजना का क्रियान्वयन मात्र प्रारम्भिक चरण में है । योजना के कार्य पूर्ण होने एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप पैकेज प्लान के अनुसार पुनर्वास आदि की व्यवस्था की जायेगी ।

जनपद बहराइच, श्री राम सुख चकबन्दी कर्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

107—श्री सतीश जतारिया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री राम सुख लाल चकबन्दीकर्ता जनपद बहराइच की मृत्यु वर्ष 1980 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा को देय समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी० पी० एफ० में जमा धनराशि के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त स्व० श्री राम सुखलाल की विधवा को देय समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि रु० 12586.35 का दिनांक 8-3-82 को भुगतान किया गया है ।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि का 90 प्रतिशत रुपये 3248.00 दिनांक 7-8-96 को भुगतान कर दिया गया है । पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दिनांक 3-3-81 को हो चुकी है । जिसे उनकी विधवा प्राप्त कर रही है ।

जी० पी० एफ० के अवशेष 10 प्रतिशत का प्राधिकार पत्र महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद से प्राप्त होने पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा ।

विलम्ब से भुगतान करने के लिये कौन जिम्मेदार है इसका परीक्षण कराया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड मलिहाबाद, ग्राम सहजना में चारागाह हेतु छोड़ी गयी भूमि पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटवाने की मांग

108–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहजना विकास खण्ड मलिहाबाद जनपद लखनऊ में चारागाह हेतु छोड़ी गयी भूमि संख्या 1082, 1054 पर अनाधिकृत रूप से श्री संतोष यादव द्वारा प्राइवेट स्कूल का निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटवा कर चारागाह भूमि को अवमुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अनाधिकृत कब्जेदार के विरुद्ध 115 डी की कार्यवाही वाद सं०–106 व 1116/98-99 न्यायालय, तहसीलदार, मलिहाबाद में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज, मण्डी समिति परतावल में वर्ष 1980–83 के मध्य पदोन्नति/नियुक्तियों में आरक्षण कोटे के प्रतिनिधित्व की जानकारी

109–श्री राम नक्षत्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति परतावल जनपद महराजगंज में वर्ष 1980 से 1983 तक पदोन्नति/नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो सामान्य तथा पिछड़ी जाति की पदोन्नति के साथ अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र, श्री महिमा प्रसाद मिश्र, चालक, कलेक्ट्रेट के रुके हुए वेतन विनियमित किये जाने हेतु मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

110–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महिमा प्रसाद मिश्र, चालक (ड्राइवर), कलेक्ट्रेट, जनपद सोनभद्र के मार्च, 1998 के रुके हुए वेतन के भुगतान एवं चालक के पद पर विनियमित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1998 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त चालक को विनियमित किया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री महिमा प्रसाद मिश्र, दैनिक वेतन एवं संविदा पर कार्यरत रहा । दैनिक वेतन/संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को विनियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है । नियमित नियुक्ति के समय श्री मिश्र के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, तहसील व परगना रुदौली, ग्राम सभा बरावां की मालगुजारी की वसूली हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

111–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि शेष धनराशि रु० 3000/- को ग्राम सभा के खाते में शीघ्र हस्तानान्तरित कराने एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये थे ? यदि हां, तो शासन के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर, जिला मुख्यालय एवं अन्य जनपदीय कार्यालयों के निर्माण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक की जानकारी

112—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में जिला मुख्यालय एवं अन्य जनपदीय कार्यालय के निर्माण पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपदीय कार्यालयों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति (स्टेटस को) बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवाद किया जा रहा है।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर, ग्राम अमरतल की भूमि नं० 141/142 के अमल दरामद का प्रकरण

113—श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमरतल, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर की भूमि नं० 141/142 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है, को माननीय उच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन रहते हुए किसी के नाम खतौनी में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त फर्जी अमल दरामद करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़, तहसील इगलास में उप मण्डी निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करवाने की जानकारी

114–श्री मलखान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील इगलास जनपद अलीगढ़ में उप मण्डी का निर्माण तथा उस पर बाउन्ड्री बनाने व मिट्टी डालने में करीब 10 लाख रुपये व्यय करने के बाद भी

उसका निर्माण बन्द कर दिया गया है यदि हां, तो क्यों ? क्या निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं,

मण्डी समिति, हाथरस द्वारा तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़ में उपमण्डी के निर्माण का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, अतएव उपमण्डी का निर्माण नहीं कराया जा रहा है किन्तु बाउण्ड्री के निर्माण कार्य पर रु० 12.06 लाख व्यय किया जा चुका है, शेष कार्य निर्माणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि निर्माण कार्य बन्द नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड इटवा, ग्राम चेचराफ बुजुर्ग के ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन का निर्माण अपने कैम्पस में कराने हेतु प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

115—श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चेचराफ बुजुर्ग वि० ख० इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन निर्माण का कार्य आरक्षित पंचायत भवन भूमि पर न कराकर अपने कैम्पस के अन्दर उस भूमि पर कराया जा रहा है, जिस ग्राम समाज की भूमि पर प्रधान ने अपने मकान की बुनियाद कई वर्ष पहले डाली थी, से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23-7-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या आरक्षित भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करके धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जांच कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, ग्राम बधावर के सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा कर बन्द करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

116—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी थाना–रौनापार के ग्राम बधावर निवासी श्री मुनीष द्वारा 27-7-98 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आबादी के अन्तर्गत स्थित सार्वजनिक मार्ग को उक्त ग्राम के निवासी सुखई, मुखई व सुखारी पुत्रगण भग्गल, चन्द्रिका आदि द्वारा बन्द कर दिये

जाने के संबंध में दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त रास्ता खुलवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के कथित ब्लाकों में दुग्ध विकास/संग्रह समितियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

117—श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में तरवां, लालगंज तथा ठेकम ब्लाक में दुग्ध विकास तथा दुग्ध संग्रह सम्बन्धी समितियां कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार आजमगढ़ जनपद के उक्त तीन ब्लाकों में दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां ।

33 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं ।

अतिरिक्त दुग्ध उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मात्र ब्लाक तरवां, आजमगढ़ में दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ायी जा सकती है । शेष दो ब्लाकों में अतिरिक्त दुग्ध की अनुपलब्धता एवं दुग्ध से ग्रामों की दूरी अधिक होने के कारण दुग्ध समितियां बनाया जाना उपयुक्त न होगा ।

जनपद टिहरी गढ़वाल, ओंकारा नन्द मिशन ट्रस्ट के आय के स्रोत एवं विदेशियों द्वारा जमीन खरीद फरोख्त को रोकने की मांग

118—श्री लाखीराम जोशी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल की मुनी की रेती में स्थित ओंकारा नन्द मिशन ट्रस्ट ने अब तक कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति अर्जित की है तथा ट्रस्ट की आय के क्या स्रोत हैं ? क्या सरकार ट्रस्ट के नाम से विदेशियों द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त, गढ़वाल से कराने के आदेश दिये गये हैं ।

मण्डलायुक्त की जांच प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद कानपुर, थाना सजेती, ग्राम धरछुआ में तालाब के पास मार्ग पर अवैध कब्जा हटाये जाने एवं स्थायी व्यवस्था किये जाने की मांग

119—श्री अजय कुमार पोद्दार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–71 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–धरछुआ, थाना–सजेती, तहसील–घाटमपुर, जनपद–कानपुर में दिनांक 14 जनवरी, 1999 को जो अवैध कब्जे हटवाये गये थे, क्या उनका निर्माण अवैध कब्जाधारियों द्वारा पुनः कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका स्थायी निराकरण करने के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । अवैध कब्जा हटवाया गया था एवं पुनः कब्जा कर लेने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 15-3-99 को अवैध कब्जे पुनः हटवा दिये गये हैं ।

जी हां, अवैध कब्जेधारकों के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने एवं वाद दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है ।

यह कार्यवाही दिनांक 20-3-99 तक पूर्ण कर ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद, परगना शादियाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी धांधली की जांच की मांग

120—श्री विजय कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं० 1729/1-8/93, दिनांक 24-3-93 द्वारा ग्राम सिखड़ी, परगना शादियाबाद, जिला गाजीपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी धांधली व गैर कानूनी कार्य की जांच का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ की स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट के चन्याल गांव में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों के अन्यत्र पुनर्वास की व्यवस्था की जानकारी

121—श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट में 11 अगस्त, 98 को चन्याल गांव अनुसूचित जाति बस्ती तथा 20 जून, 98 को जम्बड़ में हुई दैवी आपदा भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 में जनपद पिथौरागढ़ के भूस्खलन से प्रभावित ग्राम चन्याल के 24 परिवार व ग्राम जमतड़ के 47 परिवारों को अन्यत्र बसाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद मेरठ के प्रभारी चारा विकास अधिकारी की प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ के आदेश का अनुपालन करने की जानकारी

122—प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि श्री जबर सिंह प्रभारी चारा विकास अधिकारी, मेरठ की प्रोन्नति किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, लखनऊ ने जुलाई, 1995 में निर्णय द्वारा कोई आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद हरदोई, जिला बन्दोबस्त अधिकारी को आयुक्त चकबन्दी के आदेश पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

123—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा के पत्र दिनांक 17-12-96 पर आयुक्त, चकबन्दी के आदेश संख्या 103/40/30/96, दिनांक 17 सितम्बर, 1996 जो जिला बन्दोबस्त अधिकारी, हरदोई को प्रेषित था, का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन-कौन पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्न से आच्छादित प्रकरण सम्प्रति न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया, ग्राम हरिपुर की बंजर, नहर व सड़क के बीच की ग्राम सभा की भूमि पर अभिलेखों में अंकित अनुसार कार्यवाही की मांग

124—श्री अफजाल अहमद—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—6 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया (रिकार्ड आपरेशन) का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डी० एम० इलाहाबाद द्वारा विवादित बंजर भूमि, नहर व सड़क के बीच में गांव सभा की जमीन को अभिलेख में अंकित किया गया है और सड़क के उत्तर तरफ 0.925 हेक्टेयर पर संक्रमणीय भूमिधर काबिज, दखल हैं ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार हंडिया द्वारा इसे अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सीमांकन जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां।

भू-खण्ड संख्या 935 पर कुल क्षेत्रफल 1.827 है० है जिसमें से 0.925 है० अमर बहादुर पुत्र सहदेव व रामहित पुत्र मोतीलाल के नाम संक्रमणीय भूमि धर के रूप में अंकित है, जो सड़क के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ स्थित है तथा 0.880 है० भूमि श्री श्याम सुन्दर पुत्र जैकरण के नाम है व 0.111 है० भूमि शशि नाथ पुत्र रजई निवासी ग्राम हरिपुर पट्टी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा शेष 0.702 है० भूमि भू अभिलेखों में बंजर खाते में अंकित है किन्तु मौके पर 0.107 है० क्षेत्रफल पर पक्की सड़क 0.200 है० भूमि पर नगर है और लिखित खातेदार उस पर काबिज हैं इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया, ग्राम हरिपुर के खेत संख्या 934 के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा मांगी गयी जांच आख्या के अनुसार जांच की मांग

125—श्री अफजाल अहमद—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 2सरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया (रिकार्ड आपरेशन) का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ? क्या यह सही है कि आपरेशन कार्यवाही पूरी होने तक तहसीलदार हंडिया द्वारा विवादित भूमि का कब्जा देने के उपरान्त पट्टेदार उर्मिला देवी ने अनुदत्ति की शर्तों का उल्लंघन करके रिहायशी मकान एवं छप्पर

पम्पिंग सेट लगाकर 0.684 हेक्टेयर भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है ? क्या बाकी पट्टेदार काबिज नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु दिनांक 29-12-1998 को उप जिलाधिकारी द्वारा आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अनुज्ञप्ति निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है और प्रश्नगत मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार के रिक्त पदों को भरने की मांग

126– श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान समय में प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

वर्तमान में 30 पद रजिस्ट्रार कानूनगो तथा 204 पद सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के रिक्त हैं ।

उत्तर प्रदेश राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली बनायी जा रही है, तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़, उप जिलाधिकारी, कुण्डा के आदेशानुसार ग्राम मनार के व्यक्तियों को दिये गये आवासीय पट्टों पर कब्जा दिलाने की जानकारी

127– श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 12-12-95 को ग्राम मनार तहसील कुण्डा के किन-किन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा दिया गया था ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम मनार, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 12-12-95 को केवल एक व्यक्ति सर्वश्री राम नाथ पुत्र शिव शंकर मौर्य को आवासीय पट्टा दिया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, उप तहसील टूण्डला, मौजा चुलहावली के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित न करने का प्रकरण

128—श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में फिरोजाबाद जनपद की उप तहसील टूण्डला, मौजा, चुलहावली के अहाता अनेक सिंह मो० देवी नगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु

आबादी घोषित की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त आबादी हेतु भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित न करके अन्य समुदाय के लोगों को आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

भूमि किसी को भी आवंटित नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय, लखनऊ के श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध जांच/ज्वाइनिंग हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129—श्री चेतराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री मोतीलाल, लेखाकार के विरुद्ध प्राप्त तथा कथित शिकायत पर जांच कराने तथा इनका स्थानान्तरण रोक देने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश दिनांक 2 मई, 1988 द्वारा श्री मोतीलाल को पुनः कार्यभार ग्रहण करने के लिये भी आदेशित किया गया ? यदि हां, तो कब ? श्री मोतीलाल का वह आदेश कब प्राप्त कराया गया ? यदि नहीं, तो श्री मोतीलाल को कार्यभार न ग्रहण करने के आरोप में नौकरी से कैसे हटा दिया गया ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निरन्तर 5 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 26-12-92 द्वारा उनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं ।

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज के लेखपालों को प्रोन्नत वेतनमान, बोनस एवं नगदीकरण के बकाया देयों का भुगतान करवाने की मांग

130—श्री दीपक कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के लेखपालों के बकाया देयों 1-1-1992 से 31-12-1995 तक का प्रोन्नत वेतनमान 1-1-1996 से लागू वेतन आयोग के आधार पर नया वेतनमान, 1994-95 से बढ़े बोनस, नकदीकरण 1995-96 में तीन माह में कटी हुई अन्तरिम राहत कटौती 1-1-1998 से 31-12-1998 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया है यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन हेतु वर्ष 1995 में कार्यकत्रियों को पारिश्रमिक दिलाने हेतु शासन की नीति की जानकारी

131—श्री दीपलाल भारती—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 के त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में लगायी गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पारिश्रमिक दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1995 के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में पारिश्रामक दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं था ।

जनपद बांदा, ब्लाक तिन्दवारी के ग्रामों में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

132—श्री मंगल प्रसाद निषाद—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम सिंहपुर साड़ी गोखरही में राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पशु चिकित्सालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त—

जी नहीं ।

यह जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर के विवरण की जानकारी

133—श्री मोहम्मद मुकीम—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में 3,48,773/- रुपया का फर्नीचर क्रय किया गया ? क्या क्रय करने का अधिकार कार्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत को था ? क्या इसमें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ? क्या उक्त खरीदारी के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । उक्त अधिकार शासन में निहित है ।

जी नहीं । जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया था । टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज, तहसील सदर, ग्राम सभा कोटवा के आम रास्ते पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

134—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा—कोटवा, थाना—घुघली, तहसील सदर, जनपद महराजगंज में स्थित आम रास्ते पर ठाकुर सिंह, रामअधार, राजदेव सिंह, रमाशंकर सिंह

पुत्रगण–नगई राय द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है ?. यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आम रास्ते पर हुए अवैध कब्जे को हटवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा, विकास खण्ड जसपुरा, ग्राम पंचायत गडरिया में जवाहर रोजगार योजना में कराये गये कार्यों की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

135—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज का पत्र संख्या–वी०आई०पी०/115/आर०एम०/पं०शा०/99, दिनांक 8-1-99 जो ग्राम पंचायत गडरिया, ब्लाक जसपुरा, जनपद बांदा में जवाहर रोजगार योजना से कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कुशीनगर, तहसील पडरौना, ग्राम सभा सिगहां की आबादी की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटवाने की मांग

136—श्री राधेश्याम सिंह –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सिगहां, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर में इस समय नवीन परती एवं सार्वजनिक आबादी की कितनी भूमि है एवं इन पर किन-किन व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा है ? क्या सरकार अनधिकृत कब्जे को हटवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सिगहा, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर में नवीन परती भूमि के खाते में कुल 6.890 है० तथा सार्वजनिक आबादी हेतु 1.031 है० भूमि सुरक्षित है। उक्त भूमि पर निम्न व्यक्ति अनधिकृत रूप से काबिज हैं :—

1–श्री वृन्दा पुत्र देवसरन

2–श्री जयश्री व शिव नरायन पुत्रगण वंशी

3–श्री अर्जुन पुत्र बालमुकुन्द

4–श्री हरखनाथ शाही पुत्र जमीदार शाही

5–श्री गौरी पुत्र गहवार

6–श्रीमती प्रभावती बेवा प्रेमचन्द

7–श्री राजकुमार पुत्र महादेव

8–श्री लक्ष्मी व शंकर पुत्रगण रजई

9–श्री रोझन पुत्र वित्तन

अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा वाहन पड़ाव अड्डा नीलामी का प्रकरण

137—श्री राधेश्याम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1998 में मधौली बाजार क्षेत्र पंचायत रामकोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामकोला, जनपद कुशीनगर में जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा वाहन पड़ाव अड्डा नीलाम किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त बाजार नीलामी की शर्तों के अन्तर्गत आती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नीलामी आदेश निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

उक्त वाहन पड़ाव-अड्डा की नीलामी शर्तों के अन्तर्गत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून, ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का भुगतान कराने की मांग

138—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद सरकार द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये कृषकों की अधिग्रहण की गयी भूमि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रान्सपोर्ट नगर के शिलान्यास के समय भूमि का भुगतान 15 दिन के अन्दर करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद देहरादून में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु कृषकों की अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन के अनुरूप प्रभावित कृषकों को अनुमानित प्रतिकर रु० 4,54,545.45 प्रति एकड की दर से अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा चुका है ।

शेष और अन्तिम भुगतान हेतु अर्जन निकाय "मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण" एवं कृषकों के मध्य दिनांक 17-8-98 को रु० 10,20,000.00 प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर भुगतान हेतु भूमि अर्जन करार नियमावली-1997 के अधीन करार पत्रों का निष्पादन पूर्ण कराया जा चुका है । पूर्ण भुगतान हेतु अर्जन निकाय के स्तर से रु० 98,24,640.00 की और व्यवस्था की जा रही है । वांछित धनराशि प्राप्त होते ही नियमानुसार एवार्ड की घोषणा करके कृषकों को शीघ्र ही पूर्ण प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

139—श्री अजय कुमार पोइया—

[5वे मंगलवार में अता० प्र० सं०—167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

140—श्री बेचन राम—

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जनपद कुशीनगर, कप्तानगंज घाट छोटी गण्डक नदी पर बने पीपे के पुल पर लगे बैरियर पर बिना रसीद के जबरन वसूली का प्रकरण

141—श्री दीप लाल भारती—

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि छोटी गण्डक नदी के कप्तानगंज घाट, जनपद कुशीनगर में गन्ना किसानों की सुविधा हेतु पीपे का पुल निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि उस पर अराजक तत्वों द्वारा बैरियर लगाकर पैदल यात्री से रु० 2, साइकिल सवार से रु० 3, ट्रैक्टर-ट्राली व जीप से रु० 15 प्रति फेरा प्रतिदिन बिना रसीद के जबरन वसूल कर जनता का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अराजकता एवं उत्पीड़न को रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले नियम 301 की सूचनायें ले लेने दीजिए ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आज प्रश्नकाल में बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता ने नियम 311 की अपनी नोटिस के लिये आपका संरक्षण चाहा । आपने कृपापूर्वक यह कह दिया कि जब नियम 56 सुन लूंगा तो नियम 311 पर आपकी बात भी सुन लूंगा । क्या अधिकार है, किसी नेता को और विधायक को कि वह सारे विधायकों के अधिकार का हनन कर दें ? आज प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ था । हम इनकी सूचना के महत्व को कम करके नहीं आंक रहे हैं । लेकिन क्या अधिकार है कि इस प्रकार से प्रश्नकाल को समाप्त कराने के लिये इस तरह का कृत्य किया जाये ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन में माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है और जितना अधिकार सत्ता पक्ष का है, उतना ही विपक्ष का है । विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक बात कही और उन्होंने बताया

कि नियम 311 में सूचना दी है । मैंने अनुरोध किया कि नियम 56 के पश्चात् उनको सुन लूंगा । आशा यह की जाती है कि माननीय सदस्य उसको मानेंगे । माननीय सदस्य समझते हैं कि उनकी सूचना अति महत्वपूर्ण है इसलिए इसको पहले ले लिया जाये और इस कारण प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा । पहले एक बार स्थगित हुआ, फिर दोबारा स्थगित हुआ । सदन की परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेक से मुझे निर्णय लेना पड़ता है ताकि सदन की अगली कार्यवाही शांतिपूर्वक चले । माननीय सदस्य सहयोग देंगे तो जो पद्धति है, क्रम निर्धारित है उसके अनुसार कार्यवाही चलायेंगे तो कोई व्यवधान भी नहीं होगा । अगर आप लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किसी भी परिस्थिति में प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाना चाहिए । क्या इन लोगों ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का ठेका ले रखा है ?

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

अब तो सदन की कार्यवाही चलने दीजिए ।

कृपया बैठ जाइये ।

(इसी मध्य श्री राम जग एवं श्री विनोद मणि सदन के वेल में आ गये)

मैं सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 1.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें । अपना आसन ग्रहण करें । मैं आपकी चिन्ता समझ रहा हूं और माननीय सदस्यों की चिन्ता भी समझ रहा हूं । मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष के विनिश्चय पर प्रश्न न प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से उठाया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है । एक बार तो आपकी व्यवस्था इस पर आनी चाहिए कि प्रश्नकाल के समय प्रश्नकाल ही होगा और उसके बाद जो अन्य मदें हैं, वह वैसे-वैसे ली जायेंगी । जब आपने इस पीठ से कह दिया कि प्रश्नकाल होने दीजिए और नियम 56 के बाद में आपको सुन लूंगा, उसके बाद भी प्रश्नकाल न होने देने का एक मात्र कारण यह हो सकता है कि वह है छपास, कि हम

कितने हितैषी हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये । यह सरकार इस मामले में उसी तरह संवेदनशील है ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें । श्री डंग साहेब ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है । हम सब लोग एक सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं । जब बात हो गई और मैंने विनिश्चय भी कर दिया कि नियम 56 के बाद में 311 की सूचना को सुन लूंगा । हमारे विनिश्चय से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हुए । वह अपनी बात का महत्व ज्यादा रखते थे और उसे पहले लेना चाहते थे । उनका यह अनुरोध ज्यादा देर तक चल गया । अब ऐसा अन्दाजा लग रहा है कि वातावरण ठीक रहेगा इसलिए मैं 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपके विनिश्चय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का किसी माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं । पहली सूचना डा० कौशल किशोर की है । (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे) दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की, तीसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी, चौथी सूचना श्री महेन्द्र कुमार, पांचवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत की पढ़ी मान लेते हैं । छठी सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा की है (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थीं) सातवीं सूचना श्री मतेश चन्द्र सोनकर की पढ़ी मान लेते हैं । चूंकि दो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची की दो सूचनायें ले लेते हैं । प्रतीक्षा सूची में से श्री अवधेश प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे । दूसरी सूचना श्री चेतराम की पढ़ी मान लेते हैं । शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं ।

(स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं ।)

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रौजा से टिकरी मार्ग का पुनर्निर्माण करवाकर लेपन स्तर तक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में रौजा से टिकरी मार्ग जो जिला परिषद् गोण्डा से लगभग 40–45 वर्ष पूर्व निर्माण करवाया गया था । जिस पर मात्र पत्थर स्तर तक की कटाई का कार्य हुआ था, मार्ग पर पड़े पत्थर उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं जिससे आवागमन बाधित हो रहा है । मार्ग के दोनों तरफ की पटरियां कट कर वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चुकी हैं । इस संबंध में शासन/प्रशासन को मेरे द्वारा लेपन के संबंध में अवगत भी कराया गया है । परन्तु अभी तक लेपन नहीं करवाया गया । इस मार्ग पर पड़ने वाले सैकड़ों ग्रामों के लोगों की बराबर मांग है कि सड़क का लेपन कराया जाय ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर स्थित अस्पताल में डाक्टरों की तैनाती कर चलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सिंह सैनी–

[माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट कर सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में इस समस्या का समाधान अविलम्ब कराया जाए ।

मेरे क्षेत्र कस्बा भगवानपुर में 4-5 वर्ष पूर्व 35 शैय्याओं का एक अस्पताल का निर्माण शासन द्वारा कराया गया था जिसमें उपयोग हेतु बेड्स गद्दे कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराकर विकास खण्ड भगवानपुर के भवन में रख दिये थे परन्तु अस्पताल में न तो डाक्टरों की तैनाती की गयी है और न ही उसे चालू किया गया है । अवांछनीय तत्वों ने अस्पताल की खिड़की और दरवाजे भी उखाड़ कर ले गये हैं साथ ही साथ विकास खण्ड के भवन की जिसमें अस्पताल का सामन रखा है टपकने से लाखों रुपये का सामान भी बरबाद हो रहा है । ऐसी दशा में मैं शासन से मांग करता हूं कि जनहित में उक्त अस्पताल में डाक्टरों की तैनाती कर उसे चलाया जाये तथा जो शासन की इतनी लागत उस पर लगी है उसकी बरबादी न हो सके ।]

जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर व बिसवां के अन्तर्गत कतिपय बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र कुमार–

[महोदय, जनपद सीतापुर, तहसील–लहरपुर व तहसील बिसवां अन्तर्गत बेहटा विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में आयी बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हुई एवं हजारों घर नदी में कट गये । पीड़ित लोगों को मात्र कुछ पैसा देकर प्रशासन द्वारा टरका दिया गया तथा सम्मानित सदन में आवाज उठाने पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पात्रतानुसार बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता प्रदान की जायेगी । परन्तु दुर्भाग्यवश निम्नलिखित ग्राम के बाढ़ पीड़ितों को कोरे आश्वासन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ ।

1–सीहपुर, 2–गौर चौखडिया, 3–समोदीडीह, 4– हरकी बेहड, 5–चहलुआ, सभी ग्राम विकास खण्ड बेहटा तह० लहरपुर ।

1–गोविन्दापुर, 2–असईपुर, 3–चहलारी, 4–गोलोक कोडर, विकास खण्ड रेउसा तह० बिसवां ।

कृपया उक्त के संबंध में कार्यवाही हेतु सूचना सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की छटनी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, क्षेत्रीय प्रबन्धक वन निगम, गढ़वाल परिक्षेत्र में गत 10–15 वर्षों से कार्यरत स्केलरों की छटनी कर दी गई है । यह सभी नवयुवक शिक्षित बेरोजगार हैं । कई महीनों से यह क्रमिक भूख हड़ताल एवं धरने में बैठे हैं । इनकी मांग है कि इन्हें जिस प्रकार क्षेत्रीय प्रबन्धक वन निगम कुमायूं में स्केलरों को सेवा में नियमित किया गया है, उसी प्रकार नियमित किया जाय । यह सौतेला व्यवहार है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन को निर्देशित कर दें कि छटनी शुदा वन निगम के कर्मचारियों को वन निगम सेवा में वापिस लेकर नियमित कर दें ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मृतक कर्मचारी के सभी बकाया देयों एवं पेंशन का भुगतान शीघ्र करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम–भरेठा बाग की राजपती देवी पत्नी स्व० राम लखन यादव, जनपद कौशाम्बी की है । इनके पति स्व० श्री राम लखन यादव, विद्युत वितरण खण्ड इटावा में पेट्रोलमैन पद पर कार्यरत थे । परिषदीय कार्य करते समय दिनांक 18-11-93 को खम्भे से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद इलाज के मध्य दिनांक 10-9-96 को इनकी मृत्यु हो गयी थी । राजपती व उनका परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है । भुखमरी के कगार पर हैं तथा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजपती का एक पुत्र भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है एवं अन्य बच्चों की हालत चिन्ताजनक है ।

अतः इस अति लोक महत्व एवं मानवीय मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मृतक कर्मचारी स्व० राम लखन यादव के सभी बकाया देयों पेंशन का भुगतान शीघ्र कराने का आदेश दें ताकि परिवार मृत्यु के कगार से वापस आकर जीवन यापन कर सके ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पाना पट्टी के थानाध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब एवं बेकसूर लोगों पर किये जा रहे अत्याचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चेतराम–

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी थाने के थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा पासी जाति के अनेक लोगों को लगभग 10 दिन पूर्व अकारण थाने में दो दिन तक बन्द रखा गया, उनको मार पीट कर थानाध्यक्ष पट्टी के द्वारा छोड़ दिया गया । थानाध्यक्ष के इस व्यवहार पर अखिल भारतीय पासी समाज के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया, जिससे रुष्ट होकर

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थाना पट्टी के थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा पासी जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिया गया है फलस्वरूप पासी जाति के परिवारों को घर से भागना पड़ रहा है।

अतः इस आवेलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के सज्ञान में लाते हुए जनहित में पट्टी के थानाध्यक्ष एवं अन्य सम्बन्धित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की सूचनाएं इसके पश्चात् लेते हैं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक प्रश्न उठाया है इसलिये मैं अब 311 की सूचनाएं ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है उस पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कमजोर वर्ग विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण और सम्वर्धन के लिये विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्राविधान किये गये हैं। यहां तक कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से प्रदेशों की सरकारों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके विकास के लिये, उनके सामाजिक उन्नयन के लिये, उनके सर्वांगीण विकास के लिये जो कुल बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के मुताबिक 22 फीसदी धन मात्राकृत करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1980–85 में इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ट्रायबज सब प्लान की व्यवस्था की गई थी। 1985 में इनको और कारगर बनाने के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजना का स्वरूप दिया गया। मान्यवर, यह देखा गया व्यावहारिक रूप से कि सरकार की मंशा तो रहती थी कहने और करने के लिये कि हम निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिये उनकी जनसंख्या के मुताबिक कुल परिव्यय का हम बजट में प्राविधान करेंगे लेकिन लगातार सन् 80 से लेकर 95 तक मान्यवर, उसका सही क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ। 1995 और 1996 में मान्यवर, जब इस प्रदेश में सुश्री मायावती जी मुख्य मंत्री थीं उन्होंने देखा कि जो भारत सरकार की मंशा है, भारतीय संविधान की मंशा है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिशा निर्देश हैं उसके तहत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजना जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये बनाई गई है उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिये किया गया है उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिये इस पर अध्ययन किया गया और यह धन ठीक से कारगर तरीके से सुनिश्चित और समुचित सदुपयोग हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसी विषय में एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया और मान्यवर, 1995-96 में उस प्रारूप के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि जो अनुसूचित जाति की आबादी है 21.4 और जो शिड्यूल्ड ट्राइब की है उसकी जनसंख्या के मुताबिक 0.5 परसेन्ट यानि की कुल 22 परसेन्ट धन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मुताबिक कुल बजट परिव्यय का धन आवंटित किया जाना चाहिए और उसका विधिवत् पालन कर योजना बनाएं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिये कुछ कर सकते हैं।

इस प्रकार का एक शासनादेश जो 17/2–एम–14/95-96, दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 को निर्गत किया गया था और इसके निर्गत होने के बाद समाज कल्याण विभाग में एक नोडल विभाग की स्थापना की गई जिसमें समाज कल्याण विभाग का नियोजन विभाग के अधिकारी ने मिलजुलकर, नोडल

विभाग प्रकोष्ठ तैयार किया, इस पर सही कार्य हो इसके लिये एक समिति बनाई गई और उसका नतीजा यह हुआ, इस दिशा में 1996-97 का वर्ष ऐसा रहा जिसमें इसका हन्ड्रेड परसेन्ट क्रियान्वयन हुआ जो कुल परिव्यय का 22 फीसदी धन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कल्याणकारी कार्यकारी कार्य करने के लिये समुचित विकास के लिये बेहतरी के लिये दिया था उसका समुचित उपयोग हुआ जो कुल धन था उसका परिव्यय था 22 प्रतिशत धन का, हन्ड्रेड परसेन्ट उपयोग पहली बार हुआ।

मान्यवर, जैसा कि निवेदन किया 1997-98 में परिव्यय किया गया, 1 हजार 516 करोड़ और इसकी लिखित रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई यहां की जो योजना थी प्रारूप था जिसके तहत हन्ड्रेड परसेन्ट कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया भारत सरकार ने इस प्रारूप की सराहना की। सराहना ही नही, सराहना करते हुए देश के अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने का काम किया तत्कालीन प्रधान मंत्री भारत सरकार, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार और तत्कालीन उपाध्यक्ष नियोजन विभाग ने इसकी सामूहिक रूप से प्रशंसा करते हुए देश के अन्य प्रदेश में इसको माडल के रूप में भेजा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किये गये कार्यक्रम जो थे उसको स्वीकार करने के निर्देश जारी किये गये। इसी परिपेक्ष्य में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है इसने हेरा-फेरी करना शुरू कर दिया है। पहली बार मान्यवर, 1998 जनवरी में एक शासनादेश जारी करके उसको पूर्णतया निष्प्रभावी करने का काम किया।

मान्यवर, पिछली बार सदन के दौरान जब सदन में इस बात को उठाया गया था, तो आपके हस्तक्षेप से सरकार को उसे फिर स्वीकार करना पड़ा था, सरकार ने उसको जब स्वीकार कर लिया तो हम सभी लोगों ने समाज कल्याण मंत्री हरीश जी को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया उस समय आपकी भूमिका महत्वपूर्ण थी जिसके कारण बड़ा कार्य आसानी से हो सका। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान तथा ट्राइबल सब-प्लान के लिये 1998-99 में 2197 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है भाषण में तो अच्छी लगती है। हमने कहा कि सरकार की मंशा दुरुस्त है, माननीय मुख्य मंत्री जी सचेत हैं और यह कहते हैं कार्यान्वयन होने जा रहा है, लेकिन अभी समाज कल्याण विभाग और नियोजन विभाग से लेखा जोखा मांगा तो सभी अधिकारियों ने कहा कि इस विषय में अलग से किसी भी प्रकार का धन की व्यवस्था नहीं की गयी है। मात्र कुछ दिन शेष रह गये हैं 99 को बीतने में। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह कहती तो है लेकिन करती नहीं। यह ढपोरशंख सरकार है। यह "वदामि च ददामि न" के अनुसार घोषणा तो कर देती है लेकिन देती नहीं है। जो योजनागत धन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था उसको नहीं दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसा कि यहां घोषित करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया है और नतीजा यह है कि सरकार की पूरी मंशा इस धन का दुरुपयोग करने की है वह इसे दूसरी ओर डाइवर्ट करने को सोच रही है.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जब नियोजन विभाग द्वारा अलग से मदवार, योजनावार मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में धन आवंटन नहीं किया गया है तो मात्र एक हफ्ते में, जो समय शेष है, कैसे धन का आवंटन करेंगे ? इससे प्रदेश के अनुसूचित

जाति तथा जनजाति के लोगों के मन में यह आशंका पैदा हो गयी है कि जो हमारे हितों के लिये व्यवस्था की गयी है स्पेशल कम्पोनेंट के तहत आज यह सरकार लीपा पोती कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। अब आपकी काफी बात आ गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सही ढंग से कार्यान्वयन के लिये जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 96 में बनाया है उसके मुताबिक सौ प्रतिशत धन सुनिश्चित किया जाय और योजनावार, मदवार मैदानी क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में तत्काल इस धन को आवंटित करके सुनिश्चित किया जाय और इस धन को डाइवर्ट न किया जाय। मान्यवर, पहले समाज कल्याण विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया था और उनके सचिव के निर्देशन में काम होता था अब वह नियोजन विभाग को दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नियोजन विभाग उस पर कुण्डली मार कर बैठा हुआ है। इसको पहले की भांति समाज कल्याण विभाग को दिया जाए और उसी प्रकार से 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

* श्री राम जग–

मान्यवर, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों की 22–23 प्रतिशत आबादी है, संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो योजनायें हैं उनमें 23 प्रतिशत व्यय इनकी जनसंख्या को देखते हुए व्यय होना आवश्यक है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है यह 23 प्रतिशत खर्च के प्रति गम्भीर नहीं है। इससे इन वर्ग के लोगों में असंतोष है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में 98-99 में पैसा खर्च नहीं हो रहा है जो भी कार्यदायी संस्थायें हैं जिनको विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है वह समय पर पैसा नहीं खर्च करती हैं। मान्यवर, आपके इस पर निर्देश हुए थे माननीय मंत्रियों के साथ बैठकर बात हुई थी यह कहा गया था कि हम इसमें कोई कटौती नहीं करेंगे लेकिन वित्तीय वर्ष बीत रहा है अभी तक पैसों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है आप क्या अनुसूचित जाति के लोगों के हितों को बलि देना चाहते हैं। मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाए। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में इस वर्ष का जो पैसा है उसकी व्यवस्था कराई जाए।

(श्री राम ललित चौधरी तथा श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी ने बहुत विस्तार से बात कह दी है, अच्छा एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आप लोगों से कुछ आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह यह है कि जो माहौल मैं सुबह से देख रहा हूं, मेरी दोनों पक्ष के लोगों से काफी लम्बी वार्ता हुई। यह सदन का समय केवल 2-4 माननीय सदस्यगणों तक सीमित होकर न रह जाय। सुबह प्रश्न प्रहर स्थगित हो गया। सत्ता पक्ष,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विपक्ष सभी के प्रश्न, प्रश्न प्रहर में होते हैं, अभी सारा सरकारी एजेन्डा बाकी है, चर्चायें भी लगी हैं और सारा सदन इस बात की प्रतीक्षा में है कि कब हमें अवसर मिले । पिछले 25–30 मिनट से मौर्य जी बोल रहे थे, अब अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बाकी कार्यसूची के विषय हैं, उनका तो कोई महत्व नहीं रह जाता । यह ठीक है कि आपके आदेश से उन्हें बोलने का अवसर मिला है लेकिन अपना विषय रख लेने के बाद, बाहुबल के आधार पर, आवाज की बुलन्दी के आधार पर यदि सब कुछ तय होगा तो फिर सारा सदन अपनी बात कहने से वंचित रहेगा । यह सदन सब सदस्यों का है, सबको अवसर मिलना चाहिए, अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो दूसरों को भी अवसर तो दें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं, मैं तो इनसे सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूं । पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्यायें हुई, बलात्कार हुआ,अब एक कल्याणकारी योजना थी, उसको भी समाप्त कर देना चाहते हैं । यदि 20 मिनट हो गये तो इतनी चिन्ता नहीं होनी चाहिए ।

(श्री राम ललित चौधरी और डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गई, आप स्थान ग्रहण करें, बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अभी 20 मिनट पहले जो प्रश्न पैदा हुआ था, उस पर आपकी व्यवस्था को हम लोगों ने शिरोधार्य किया । मौर्य जी ने पूरे विषय को रख दिया, रामजग जी ने भी बात रख दी, हम लोगों का प्रश्नकाल स्थगित हो गया, एक दल से एक-एक माननीय सदस्य बोल भी लिये । आपकी व्यवस्था का पालन करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है, दोनों के सहयोग से ही यह आदरणीय सदन चलेगा । यह सदन सभी माननीय सदस्यों का है, सभी के द्वारा यहां जनता की आवाज आती है, जिस विषय को माननीय मौर्य जी उठाना चाहते थे, वह अनुसूचित जाति, दलित जाति से सम्बन्धित था । उस विषय को उन्होंने रख दिया । सरकार की तरफ से उत्तर आयेगा ।

यदि कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो उसका भी उत्तर आ जायेगा । लेकिन अगर सभी माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे तो फिर हमारे प्रश्नकाल की बरबादी का औचित्य क्या है ? हम लोगों ने तो आपकी व्यवस्था शिरोधार्य की है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बी० आर० वर्मा इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, वह गम्भीर बात कहते हैं, संक्षेप में बात कहते हैं । इसीलिये चूंकि इस सूचना पर 6 लोगों का हस्ताक्षर है, इसलिये उनको मौका दे रहा हूं, इसके बाद किसी और को अवसर नहीं मिलेगा ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जिन बातों पर माननीय मौर्य जी ने प्रकाश डाला है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हू, केवल 2-3 बातों को कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 12 जनवरी, 1998 को इसने एक शासनादेश जारी किया, जिस पर श्री आर० एस० माथुर, प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर हैं, जिसमें यह कहा गया कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में जो शासनादेश 16 अक्टूबर, 1995 को किया गया था और जिन योजनाओं को इसके तहत लागू किया गया था, तत्कालीन प्रभाव से समाप्त किया जाता है, तो इस प्रकार का शासनादेश जारी हुआ है और इस प्लान को समाप्त कर दिया और उस समय हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और आपने उसको सुना भी था और उस समय जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने उत्तर दिया था और कहा था कि इसे समाप्त नहीं किया गया है केवल कुछ परिवर्तन किया गया है और नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग न होकर योजना विभाग होगा, तो हम लोगों को संतोष हो गया था कि यह कार्य चाहे नियोजन विभाग करे या समाज कल्याण विभाग करे, हम लोगों को एतराज नहीं है।

लेकिन इस समय एतराज इस कारण से हुआ कि इस सम्बन्ध में एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है, आज भी नियोजना विभाग से रिलीज नहीं किया गया है, तो इसका क्या कारण है, जब तक आप पैसा नहीं रिलीज करेंगे कोई विकास का कार्य नहीं हो सकेगा, माननीय मंत्री जी बता दें कि आज की तारीख तक कितना पैसा रिलीज हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक थी, 9.19 प्रतिशत व्यय हुआ है, 1985-90 तक 13.26 प्रतिशत व्यय हुआ है, वार्षिक योजना 1990-91 तक 14.03 प्रतिशत व्यय हुआ है, वार्षिक योजना 1991-92 में 12.57 प्रतिशत व्यय हुआ है और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक 11.64 प्रतिशत व्यय हुआ है। तो मान्यवर, 1996-97 में 25.87 प्रतिशत कम व्यय हुआ है,

वर्ष 1997-98 में 23.03 प्रतिशत खर्च हुआ है। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिये जो वर्ष 1997 से 2002 तक के लिये है उसके परिव्यय के लिये पैसा रिलीज नहीं हुआ। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये जिससे कि सबकी स्पष्ट राय आ सके और कमजोर वर्ग के लोगों के विकास में मदद मिल सके।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आवाज की बुलन्दी और किसी बात को कई बार कहने से उसको बल नहीं मिलता। मान्यवर, जहां तक नियम 311 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया गया है उसमें सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट की है। नीति यह है, यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में समन्वित और समतामूलक विकास के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान से सम्बन्धित योजनाओं/उप-योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात मे समग्र रूप से अपेक्षित मात्राकरण नियोजन विभाग द्वारा विभागों से विचार-विमर्श करके किया जायेगा जिससे प्रदेश के समग्र विकास का व्यापक दृष्टिकोण परिलक्षित हो सके।

मान्यवर, सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान उप-योजनाओं में उपर्युक्तानुसार परिमात्रकृत धनराशि के व्यय और सदुपयोग का अनुश्रवण समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि शासन के समग्र और समन्वित विकास के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। मान्यवर, 98-99 की योजना के कुल परिव्यय रु० 10,260.96 करोड़ में से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान हेतु रु० 2197 करोड़ का परिव्यय परिमात्रीकृत किया गया है जो कुल परिव्यय का 21.41 प्रतिशत है, जो इनकी जनसंख्या के अनुपात 21.25 से अधिक है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में 83 जिलों से सूचनायें एकत्र करनी पड़ेगी। आप रिलीज के बारे में पूंछ रहे थे, मैं वही बताने जा रहा हूं। मान्यवर, यह पूरा वर्ष कठिनाइयों का वर्ष गया है। हमने सारी जानकारी उत्तर प्रदेश की जनता को दी है। मान्यवर, वर्ष 98-99 में 10,260.96 करोड़ में से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब-प्लान हेतु रु० 2197 करोड़ का परिव्यय परिमात्रीकृत किया गया है। मान्यवर, मैंने जो

बात सदन में रखी है, पूरे विश्वास के साथ रखी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ रखी है और जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण की बात हुई, आपके पास केवल बिन्दु यही रह गया है कि हर तरीके से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अकेले आप हैं जो उस वर्ग के लिए चिन्तित हैं। आपको सर्टीफिकेट चाहिए, लेकिन हमें सर्टीफिकेट नहीं चाहिए। यह सारे का सारा कार्य अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये यह सरकार कर रही है, शायद ही इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो। आप केवल आंसू बहाते हैं, छपने के लिये, उनके वोट के लिये और हम काम करते हैं उनके कल्याण के लिये। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार इस कल्याण के काम में न किसी से पीछे है और न पीछे रहेगी। पूरे वर्ग के लिये, पूरे समाज के लिये हम काम करेंगे। माननीय मौर्य जी आप आलोचना कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके कुछ कर नहीं सकेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने केवल इतना अनुरोध किया था कि अब तक टोटल प्लान जो है, उस प्लान का कितना पैसा रिलीज हुआ और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान का कितना पैसा रिलीज हुआ। आप इसको बता दें सब अपने आप पता चल जायेगा कि कितना काम करने वाले हैं, कितनी तरक्की चाहते हैं। मान्यवर, इसमें कोई लुका छिपी भी नहीं रहेगी, यह सब स्पष्ट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

क्या इस समय पूरे प्लान का प्रतिशत उपलब्ध है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सारी की सारी योजनाएं जो हैं, जिला योजनाओं पर निर्भर करती हैं, फाइनेन्शियल एयर चल रहा है, मान्यवर, 31 मार्च तक पैसा इधर से उधर रिलीज होता है उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किस योजना में कितना धन रिलीज हुआ। अगर हम ऐसे ही जानकारी दे दें तो यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, जो प्रतिशत निर्धारित है, उस अनुपात को कायम रखा जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कितना पैसा रिलीज हुआ और उसमें से कितना पैसा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान का रिलीज हुआ ? आज 18 मार्च है, आज के बाद जो पैसा रिलीज होगा, उसका कितना इस्तेमाल हो पायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी भी वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही सम्भव है और 31 मार्च के बाद यह सम्भव हो पायेगा कि किस मद में कितना पैसा रिलीज हुआ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताने का कष्ट नहीं किया कि आज तक कितनी धनराशि का आवंटन हुआ और कितना धन दिया गया।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री बताते हैं तो यह सुनते नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने सम्मानित सदन को यह जानकारी दी थी कि जो अनुपात वार्षिक योजना का था उस अनुपात में ही स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, "उस अनुपात" का क्या मतलब है। मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं और लीपापोती का काम कर रहे हैं। बार-बार "उस अनुपात में" का क्या मतलब है।

मान्यवर, आप निर्देश दीजिये कि मंत्री जी सही उत्तर दें। इन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं कृपया बैठ जायं। पहले जो वह कहने जा रहे हैं सुन लीजिये। जो कहा था उसके अतिरिक्त कहने जा रहे हैं पहले सुन तो लें।

(श्री राम ललित चौधरी के साथ कई सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना-अपना स्थान लीजिये।

(श्री राम ललित चौधरी, श्री श्रीरामपाल, श्री ददूू प्रसाद, श्री सतीश जतारिया, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री राजा रामपाल एवं श्री जगदीश नारायण राय सहित कई अन्य सदस्य सदन की वेल में बैठ गये और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० सरजीत सिंह डंग एवं सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों ने समर्थन में नारे लगाने लगे जिससे निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिये। मुझे कार्यवाही करने के लिये बाध्य मत करिये। आप-लोग व्यवस्थित हो जाइये। मैं 2.15 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं। अगर इसके बाद भी व्यवस्थित नहीं हुए तो मैं कार्यवाही करूंगा।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में.....

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि अब तक कितना धन खर्च हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है कि 31 मार्च तक धन खर्च होता रहेगा । आंकड़े उसी के बाद आयेंगे । उन्होंने यह बता दिया कि किस आधार पर हमने धनराशि निर्धारित की है ।

(व्यवधान बना रहा)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं इतना जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो मुख्य मंत्री ने बजट में धन आवंटित किया है उसमें कितना धन खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये 83 जिलों से सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । यह सूचना नियम 311 में प्रातः दी गयी है अब यह तो असम्भव है कि इतनी जल्दी 83 जिलों से सूचना आ जाए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी जो कुछ कह रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा । मैंने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया आपकी बात आ गई और संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ गयी अब यह प्रकरण समाप्त हो गया । अब मैं नियम 300 ले रहा हूं ।

आज दिनांक 18-3-99 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की ।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य वेल में आकर बैठ गये और जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज दिनांक 18-3-99 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन्हें मैं स्थगित करता हूं, कि माननीय सदस्य दुबारा इन सूचनाओं को दे देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

(2) श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

(3) श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन†

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का विशेष प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन †

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की

† छापे नहीं गये।

रिपोर्ट 1981-82 (वा०) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का सोलहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

डाक्टर सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का सोलहवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1988-89 के बीसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का सत्रहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

डाक्टर सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का अट्ठारहवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1983-84 के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–10 पर श्री अजय कुमार पोइया का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य वेल पर बैठे रहे और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आसन पर खड़े रहे तथा श्री बी० आर० वर्मा अपने आसन पर बैठे रहे। वेल पर बैठे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में बैठे सदस्य नारे लगाते रहे)

---

† छापे नहीं गये।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

* श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में श्री दिवाकर शुक्ल, निवासी जनपद संत रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के मलेथू बाजार में चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दिवाकर शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के मलेथू बाजार में चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दिवाकर शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के दुर्गागंज बाजार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के दुर्गागंज बाजार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह, निवासी जनपद संत रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह, निवासी–जनपद संत रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

संत रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां में बरना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां में बरना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार सिंह, निवासी–जनपद संत रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षारेत याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद संत रविदासनगर (भदोही) ज्ञानपुर में धनतुलसी डेंगुरपुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर उपाध्याय तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदासनगर (भदोही). ज्ञानपुर में धनतुलसी डेंगुरपुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर उपाध्याय तथा अन्य निवासीगण–जनपद संत रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

गोण्डा नगर के मध्य में स्थित ''सागर तालाब'' का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सरन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) गोण्डा नगर के मध्य में ''सागर तालाब'' का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सरन, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

गोण्डा नगर के मध्य में स्थित ''राधा कुण्ड'' का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में श्री रघुनन्दन सरन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोण्डा नगर के मध्य स्थित ''राधा कुण्ड'' का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में श्री रघुनन्दन सरन, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(सदन के फ्लोर पर बैठे सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 14, 15, 16 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 3-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† छापी नहीं गयी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

(सदन के फ्लोर पर बैठे सदस्य नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 3-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपे है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ददूदू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजा राम पाल, श्री जगदीश नारायण राय, श्री श्रीराम पाल, श्री राम ललित चौधरी, श्री सतीश जतारिया, श्री राम शंकर पाल, श्री मुहर सिंह अम्बाडी, श्रीमती माया प्रसाद, श्री आर०के० चौधरी, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री आर०के० सिंह पटेल तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन त्याग करने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–25 में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव श्री चन्द्र नाथ सिंह का है। कृपया मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य रिक्त स्थान पर बैठे हैं अपना स्थान ले लें और सदन की कार्यवाही चलने दें अन्यथा मुझे इंगित करना पड़ेगा। मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर चले जायं। दो मिनट के अन्दर अपना आसन ग्रहण कर लें।

(नारे लगाये जाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन अभी व्यवस्थित हो जाता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

मैंने दो मिनट का समय दिया है। अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(श्री बी० आर०वर्मा एवं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(अनेक सदस्य नारे लगाते रहे)

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य (सदन के फ्लोर से)–

यह सरकार दलितों के साथ न्याय नहीं कर रही है, यह दलित विरोधी सरकार है, स्पेशल कम्पोनेंट का पैसा रिलीज नहीं कर रही है,.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री ददूदू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजाराम पाल, श्री जगदीश नारायण राय, श्री श्रीराम पाल, श्री राम ललित चौधरी, श्री सतीश जतारिया, श्री रामशंकर पाल, श्री मुहर सिंह अम्बाडी, श्रीमती माया प्रसाद, श्री आर० के० चौधरी, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री आर०के० सिंह पटेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 के उपनियम (1) के अन्तर्गत निर्देश दे रहा हूं। कृपया सदन त्याग कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2.45 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक बढ़ा दिया है । 3 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया गया है । 3 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है । 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(माननीय अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैंने जिन लोगों के नाम लिये थे यह सदन का त्याग कर दें । मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर जायं । मुझे इंगित न करना पड़े तो अच्छा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कुछ सदस्यों को सदन त्याग करने के लिये निर्देश दिये थे और मेरा अभी भी अनुरोध है कि वे सदन का त्याग कर दें, तो अच्छा होगा, वरना मुझे विवश होकर इंगित करना पड़ेगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि यह विषय चल रहा है, सुबह से चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लें अभी सत्र के पांच दिन बाकी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने जो मांग की है, 31 मार्च के पहले वह आंकड़े नहीं आ सकते हैं और 31 मार्च के बाद भी उनमें कुछ समय लगेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर आपके पास स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का प्रतिशत हो तो बता दें ।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य, श्री रामललित चौधरी, श्री आर० के० चौधरी– आदि सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने आसन पर जायें ।

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय राम ललित चौधरी, माननीय बी० आर० वर्मा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैंने उस सूचना को निरस्त कर दिया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात कहें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मुझे जितनी जानकारी है सारी उपलब्ध करा दूंगा कम से कम इतना हो जाये कि यह लोग अपने स्थान पर चले जायें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपने स्थान पर चलिये ।

(सदन के वेल में बैठे हुए सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मुझे सुन लें। मान्यवर, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए मान्यवर, हमारी बात सुनें। मान्यवर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्यायें हो रही हैं उसके लिए यह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप हमें न्याय दिलायें। अनुसूचित जातियों, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन त्याग करने के अपने निर्देश को वापस करता हूं।

(शोर)

(समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(शोर)

(नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–02—आवास विभाग

श्री अध्यक्ष–

मैं आय-व्ययक की मांगों को ले रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,06,00,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं रख रहा है, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,06,00,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–37—नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,74,32,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं रख रहा है, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,74,32,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं है और विवाद भी नहीं होना है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकार की गयीं :–

नाम	विषय
श्री संजय गर्ग	जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात के अन्तर्गत चार लोगों की हुई हत्या तथा बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए थाना का पुनः सीमांकन किये जाने के संबंध में।
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में असंगठित मजदूरों के लिये बने हितकारी केन्द्रों के चिकित्सालयों की बिना वैकल्पिक व्यवस्था के अप्रैल, 1999 में समाप्त किये जाने विषयक शासन के निर्णय के कारण असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा चिकित्साधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य के समक्ष उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में।
श्री फरीद महफूज किदवई	जनपद बाराबंकी में वर्ष 1996 में लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु न भेजे जाने के सम्बन्ध में।
श्री पूर्णमासी पंकज	जनपद संत रविदासनगर (भदोही) सहित कतिपय अन्य जनपदों में कालीन एवं दरी निर्माण कार्य में कार्यरत परिवारों को बाल श्रम के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री दद्दू प्रसाद	जनपद चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्बी के ग्राम सिंहपुर निवासी श्री छोटा पुत्र लक्ष्मण की थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा कथित रूप से हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	जनपद बांदा के थाना जसपुरा के ग्राम बुधेला में कतिपय पट्टेदारों की फसल को दबंगों द्वारा जबरन काटे जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री रामजग	जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मेंहनगर डीहा मार्ग पर डीहा के पास मगई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की गयीं :–

नाम	विषय
श्री विनोद मणि	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा पूर्वांचल विकास निधि की विभिन्न विकास योजनाओं की राशि में से सेन्टेज चार्ज के रूप में धन की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नाम	विषय
श्री बाबू लाल	जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत उमेदोपुरा ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने तथा पेय जल की समुचित आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री रिफाकत हुसैन	जनपद ज्योतिबा फुलेनगर की तहसील धनौरा के अन्तर्गत कुमराला–चकनवाला मार्ग से ग्राम पखरौला जाने वाले सम्पर्क मार्ग को ग्राम सिहाली में जबरन बन्द किये जाने से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में।
श्री रामपाल सिंह तथा श्री राम विशुन आजाद	जनपद गोण्डा के मुजेहना एवं मनकापुर क्षेत्रों की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने तथा धानेपुर–मनकापुर के बीच विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राम औतार शाक्य	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड मेरठ के अधीन परीक्षा केन्द्रों में भारी हेरा फेरी एवं गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री मुश्ताक सोलंकी	जनपद उन्नाव के श्रेणी–3 के जलाशय आसीवन ताल कुण्डरा झील व रैण्ड झील के ठेके का शिकार भारी लाइसेन्स दिये जाने के बाद ठेकों को निरस्त करने के निदेश निर्गत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
डा० राम बाबू हरित	जनपद आगरा की तहसील व परगना आगरा के ग्राम लश्करपुर निवासी श्री गुरू प्रसाद सत्संगी की भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 432/72-1243–1952 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री श्यामलाल रावत	उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 1998-99 में जनपद सीतापुर के परीक्षा केन्द्र भारतीय विद्या मंदिर उ० मा० वि० खम्भरिया के 10वीं कक्षा के 23 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :—

नाम	विषय
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	जनपद संत रविदासनगर की ज्ञानपुर ब्लाक अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास योजना से कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु आर० इ० एस० विभाग को उपलब्ध कराये गये धन से सड़कों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नाम	विषय
श्री दीपक कुमार	जनपद उन्नाव में नगरपालिका उन्नाव व गंगा घाट तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को समुचित राशन कार्ड न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
श्री बाबू खां	जनपद हरदोई के थाना पचदेवरा के ग्राम कूंडी में हुई घटना में पंजीकृत अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

जनपद गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा रिगौली–बढ़या तथा बढ़या–कोठा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर बन्धे का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी किसानों की भूमि का प्रतिकर न चुकाये जाने के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद गोरखपुर में ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा रिगौली बढ़या तथा बढ़या–कोठा के निर्माण हेतु ग्राम रइकावेल, जगदीशपुर, नेवास बान टिकरिया, मझौना, बढ़या, कन्दरखावा, नेतवर, नगरा, मड़हा राजवारी, डेढ़ावीर, बढ़या करतहरी, मंझरिया, जसवल तथा रघुनाथपुर की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराने की मांग की गयी है

उक्त ग्रामों में से रइकावेल, जगदीशपुर, नेवास, बान टिकरिया, मझौना, बढ़या, कन्दरखावा, नेतवर ग्रामों की भूमि रिगौली बढ़या बांध के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा ली गयी थी । इस बांध के निर्माण हेतु एक परियोजना रु० 114.09 लाख की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अपनी 80वीं बैठक में स्वीकृत की गयी थी । स्वीकृति योजना में 70.60 एकड़ भूमि हेतु रु० 13.38 लाख का प्राविधान था। कार्य की आवश्यकता के अनुसार कुल 60.55 एकड़ भूमि अध्याप्ति की जानी थी । उक्त के सापेक्ष 3.80 एकड़ भूमि चकबन्दी द्वारा सामूहिक कटौती से तथा 3.80 एकड़ भूमि आपसी समझौते से रु० 2.944 लाख में क्रय की गयी थी । शेष 52.95 एकड़ भूमि के मुआवजे की अनुमानित धनराशि रु० 47.03 लाख है । चूंकि स्वीकृत योजना में प्रतिकर के रूप में इतनी धनराशि की व्यवस्था नहीं थी । अतः पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकरण में भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वापस कर दिया गया । सम्प्रति अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया है । इस बंधे का निर्माण कार्य वर्ष 1994-95 में पूर्ण हो चुका है ।

मा० सदस्य विधान सभा की सूचना में सम्मिलित अन्य ग्रामों यथा नगरा, मड़हा राजावारी, ढेढ़ावीर, बढ़या करतहरी, मंझरिया, जसवल एवं रघुनाथपुर की भूमि बढ़या–कोठा बांध के निर्माण हेतु ली गयी है । इस योजना हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 124.74 लाख के सापेक्ष भूमि के प्रतिकर के रूप में 15 एकड़ भूमि हेतु रु० 26.859 लाख का प्राविधान था । कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार 104.22 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ी । इसमें से 15.88 एकड़ भूमि आपसी समझौते के आधार पर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रु० 10.07 लाख में क्रय की गयी थी । शेष 88.34 एकड़ भूमि में से 13.22 एकड़ भूमि के संदर्भ में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति जारी की गयी थी , किन्तु तत्समय पर्याप्त धन की व्यवस्था न होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी और अब प्रकरण कालबाधित हो गया है । सम्प्रति इस योजना में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृत हेतु भेजा गया है । इस बंधे का निर्माण कार्य वर्ष 1990-91 में पूर्ण हो चुका है ।]

जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत मै० स्कार्ट यामाह लि०, सूरजपुर, ग्रेटर नोयडा में हुई श्रमिकों की हड़ताल तथा प्रबन्धकों द्वारा समझौते के अनुरूप मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव की बहाली न किये जाने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत स्कार्ट यामाह लि० सूरजपुर, ग्रेटर नोयडा में नवम्बर, 98 में हड़ताल के दौरान प्रबन्धकों ने मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, श्री तेग बहादुर व सचिव श्री ओम प्रकाश को अवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है तथा मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की गई है ।

इस संबंध में निवेदन है कि उप श्रमायुक्त, नोएडा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिष्ठान में चल रही हड़ताल निषिद्ध किये जाने के बाद भी जब श्रमिकों द्वारा हड़ताल वापस नहीं ली गई तो जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा उभय पक्षों को विचार-विमर्श के लिये बुलाया गया था । वार्ता के दर्मियान मुख्य रूप से दो श्रमिक प्रतिनिधियों, श्री तेग बहादुर तथा श्री ओम प्रकाश की सेवा समाप्ति वापस किये जाने का बिन्दु उठाया गया । काफी प्रयास करने के उपरान्त सेवायोजक पक्ष समझौते पर पुनर्विचार के लिये सहमत हुए हैं । विचार-विमर्श के उपरान्त सेवायोजक पक्ष प्रतिनिधियों द्वारा अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के समक्ष प्रस्तुत की गई । जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुने जाने हेतु दिनांक 22-3-99 की तिथि निर्धारित की गयी है । प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति एवं उत्पादन प्रक्रिया सामान्य है ।]

राजस्व परिषद्, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत पत्रावलियां जो कि आयुक्त गढ़वाल मण्डल को भेजी गई थी, के गुम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11-2-99 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया है कि राजस्व परिषद्, इलाहाबाद द्वारा आर० आर० संख्या पी० एम० 024009 दिनांक 29-5-93 को कुछ पत्रावलियां निर्णय होने के उपरान्त आयुक्त गढ़वाल मण्डल को भेजी गई । परन्तु राजस्व परिषद् के निर्णयों से सम्बन्धित पक्षों को इसकी कोई जानकारी जब नहीं मिल पायी तो माह मार्च, 1999 में वह स्वयं पत्रावलियों के गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने के बारे में आयुक्त कार्यालय से पता किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पत्रावलियों का कोई पता नहीं चल रहा है । पांच वर्षों के अन्तराल तक निर्णीत पत्रावलियों का गुम रहना एक अति संवेदनशील प्रकरण है । चूंकि पत्रावलियों के गुम होने से मा० राजस्व परिषद् द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप प्रभावित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । अतः यह अति संवेदनशील लोक महत्व का विषय है और "देरी से मिला न्याय को वंचित रखने जैसे होने" के सिद्धान्त के अनुसार यह विषय तात्कालिक भी है ।

2—राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्व परिषद् इलाहाबाद में निर्णीत पत्रावलियाँ जो आयुक्त गढ़वाल को भेजी गई थी गुम होने से उत्पन्न स्थिति से राजस्व परिषद इलाहाबाद, मण्डलायुक्त गढ़वाल से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करी गई । प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया कि उक्त आर० आर० के० बण्डल पार्सल को राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा आर० आर० संख्याः 024009/29-5-1993 को रेलवे पार्सल द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, गढ़वाल को भेजा गया था । मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद द्वारा गाड़ी संख्या 401 अप से दिनांक 30-5-1993 को बरेली 27 बण्डलों के साथ भेजा गया । उक्त पार्सल को रेलवे द्वारा भेजने के बाद अभिलेखों की इनवायस की एक प्रति तथा बिल्टी की प्रति संलग्न कर राजस्व परिषद इलाहाबाद के पंजीकृत पत्र संख्या 2592-2601 दिनांक 31-5-1993 को अतिरिक्त आयुक्त पौड़ी गढ़वाल को भेजा गया जो कार्यालय में दिनांक 8-6-93 को प्राप्त हुआ था । उक्त आर० आर० में रेलवे स्टेशन काठगोदाम अंकित होने के कारण आयुक्त द्वारा दिनांक 15-9-93 को तहसीलदार हल्द्वानी को निर्देशित किया कि वे उक्त पार्सल को तहसीलदार कोटद्वार को उपलब्ध करा दें ।

तहसीलदार हल्द्वानी ने अपने पत्र दिनांक 18-10-93 द्वारा सूचित किया कि उक्त बण्डल रेलवे स्टेशन काठगोदाम में प्राप्त नहीं हुआ है अतः रेलवे स्टेशन कोटद्वार से प्राप्त किया जाय । तहसीलदार कोटद्वार ने उक्त बिल्टी रेलवे स्टेशन से प्राप्त न होने की सूचना दी है । इस बीच मण्डलायुक्त गढ़वाल ने अपने पत्र संख्या मेमो/नाजिर–95, दिनांक 19-12-1995 द्वारा राजस्व परिषद इलाहाबाद को सूचित किया कि उक्त प्रेषित पार्सल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

तदोपरान्त राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 10127-10131 दिनांक 12-9-96 पत्र संख्या 4692 दिनांक 30-3-1998 एवं पत्रांक 9372 दिनांक 5-9-98 द्वारा मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद द्वारा बण्डल के भेजे जाने की छाया प्रति के साथ पुनः तहसीलदार कोटद्वार को बण्डलों का पता लगाने के लिये मण्डलायुक्त पौड़ी गढ़वाल से अनुरोध किया गया । मण्डलायुक्त पौड़ी ने पुनः इनकी छानबीन की और यह संसूचित किया कि उक्त पार्सल इनमें से किसी भी स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं है । राजस्व परिषद एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा छानबीन करने के उपरान्त यह तथ्य दिनांक 28-1-99 को प्रकाश में आया कि उक्त आर०आर०के० माल बरेली खोया/पाया (एल०पी०ओ०) को आर०आर०नम्बर 11903 दिनांक 3-10-93 द्वारा बरेली एल०पी०ओ० को भेजा गया है । राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा आगे छानबीन करने पर मुख्य पर्यवेक्षक उत्तर रेलवे बरेली द्वारा यह अवगत कराया गया कि संबंधित रजिस्टर जिसमें तामीली नहीं की गई है का उल्लेख है, उसे लखनऊ कार्यालय को भेज दिया गया है ।

3—उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए गृह विभाग से जांच कराने का अनुरोध किया जा रहा है तथा राजस्व परिषद को प्रशासनिक शिथिलता के उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं । ।

जनपद गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण तथा सुविधाओं हेतु मनकापुर तहसील अथवा गोण्डा जिला मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मनकापुर उपखण्ड पहले विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर के नियंत्रण में था तथा एस० डी० ओ०/अवर अभियन्ता को इस्टीमेट स्वीकृति/इण्डेन्ट पास कराने, धन लेने बलरामपुर जाना पड़ता था जो प्रशासनिक रूप से व्यय साध्य एवं कार्य के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधक था ।

2—मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र की संस्तुति पर एस० डी० ओ०, मनकापुर को अधिशासी अभियन्ता, बलरामपुर के नियंत्रण से हटाकर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत परिषद् ज्ञाप संख्या–158-ज०श०/राविप/दिनांक 6-2-1999 द्वारा कर दिया गया है । चूंकि मनकापुर उपखण्ड के उपभोक्ताओं को कम्प्यूटर बिलिंग बलरामपुर खण्ड से गोण्डा खण्ड में स्थानान्तरित करने में कम्प्यूटर इनपुट डाटा बदलने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगेगा ताकि सभी उपभोक्ता बकाये धनराशि सहित गोण्डा वितरण खण्ड में स्थानान्तरित हो जायें । जल्दी में परिषद् के राजस्व की क्षति हो सकती है क्योंकि इस समय राजस्व वसूली अभियान चल रहा है । अतः मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र की संस्तुति पर उक्त उपखण्ड का नियंत्रण गोण्डा में वसूली अभियान के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा ।

3—जहां तक एस० डी० ओ०, मनकापुर तथा अवर अभियन्ताओं के मुख्यालय पर न रहने की शिकायत है, यह सही है । इस सम्बन्ध में वहां पर तैनात सर्वश्री उजैर अहमद, एस० डी० ओ०, वकील अहमद एवं डी० एन० राम, अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध परिषद् द्वारा उक्त अनियमितता के लिये कठोर कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । वैसे भी इस सम्बन्ध में परिषद् के स्पष्ट आदेश हैं कि "अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय पर निवास करें ताकि जनता अपनी समस्यायें उन्हें बताकर तत्काल निराकरण करा सकें ।"]

आगरा में भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर आगरा नगर में सफाई, विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा अम्बेडकर पार्कों की मरम्मत व रंगाई-पुताई कराये जाने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के ऐतिहासिक महानगर, आगरा में भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर आगरा नगर में सफाई विद्युत पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा अम्बेडकर पार्कों के मरम्मत एवं रंगाई पुताई आदि कराये जाने हेतु मा० विधायक डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर नगर निगम आगरा में विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है तथा नगर निगम और जिला प्रशासन के ओर से इस शोभा यात्रा के व्यापक व्यवस्था की जाती रही है । डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर इस वर्ष प्रस्तावित शोभा यात्रा के सम्बन्ध में भी व्यवस्था का प्रारम्भिक चरण पूर्ण कर लिया गया है और शोभा यात्रा के मार्गों में पड़ने वाले मुहल्लों–नाला काजीपाड़ा, बलैया गाजी पाड़ा, चक्कीघाट बाजार, बस स्टैण्ड, बिजली घर, अम्बेडकर मार्ग, बुद्ध बिहार, चक्कीघाट चौराहा, चीलगढ़, औलिया रोड, छीपी टोला, साई की तकिया, जिलाधिकारी निवास व एस० जी० रोड, रावली, कलेक्ट्रेट, शोबिया कालेज, सदर भट्ठी, थाना मण्डोला घटिया मामू भान्जा, मदीना होटल, तिकोनिया बाजार, जौहरी बाजार रावत पाड़ा, पीपल मण्डी, काला महल आदि के अन्तर्गत आने वाले मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य अभियान चलाकर पूर्ण किया जा रहा है साथ ही अम्बेडकर पार्कों के रंगाई-पुताई तथा अन्य अनुरक्षण तथा मार्ग प्रकाश आदि का कार्य भी प्रगति पर है । मार्गों में पड़ने वाले स्थानों पर जगह-जगह पेयजल की व्यवस्था स्थानीय निवासियों द्वारा विगत वर्षों में की जाती रही है, फिर भी नगर निगम को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे आवश्यक व्यवस्था अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें । इस शोभा यात्रा को सफल बनाने एवं सफाई व्यवस्था पूर्ण किये जाने के निर्देश मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम आगरा को दे दिये गये हैं और किसी प्रकार की शिथिलता नगर निगम स्तर पर नहीं बरती जा रही है । अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट मुख्य नगर अधिकारी से मांगी गयी है। मैं सदन को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि इस शोभा यात्रा में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सम्बन्धी कमी नहीं रहने दी जायेगी ।]

देवरिया जनपद के तहसील रुद्रपुर में बाढ़ राहत कार्यों में लगायी गयी नावों के नाविकों को मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत कार्य हेतु स्थानीय गांवों के साथ-साथ अन्य जनपदों से भी नावें मंगाकर लगायी गयी थीं, अन्य जनपदों से मंगाई गई नावों का किराया 24,77,072/- रु० का भुगतान नाव किराया/नाविक मजदूरी के रूप में किया जा चुका है । जनपद के अन्य तहसीलों से मंगा कर तहसील रुद्रपुर में लगाई गई नावों का किराया/नाविकों की मजदूरी 6,69,409/- रु० का भुगतान किया जा चुका है । तहसील रुद्रपुर की 83 नावें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लगायी गयी थी 3 नावों के किराये का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है । 40 नाविकों को 23,250/- रु० अग्रिम धनराशि के रूप में दिया जा चुका है । वर्तमान में 80 नाविकों में नाव किराया/मजदूरी के रूप में धनराशि रु० 4,96,138/- बांटना शेष है । नाव मालिकों को भुगतान हेतु चेक्स बनाये जा रहे हैं । इन चेक्स का वितरण 31 मार्च, 99 के पूर्व कर दिया जायेगा ।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद देवरिया के नाविक मजदूर संघ मजदूरी/किराया बढ़ाने के लिये मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका संख्या–38037/98 दाखिल की गयी थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय के द्वारा याची के प्रत्यावेदन को निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे । याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण दिनांक 12-2-99 को कर दिया गया । प्रत्यावेदन के निस्तारण के पश्चात् नाविकों का नाव किराया/मजदूरी की धनराशि रु० 1,33,907/- चेक्स के माध्यम से देने की कई बार कोशिश की गयी लेकिन उनके द्वारा धनराशि ग्रहण नहीं की जा रही है ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में एम० एन० आर० की परीक्षा द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं का प्रवेश के समय आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश में व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) की निजी क्षेत्र में स्थापना की योजना के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 में शासनादेश संख्या–292/95–सोलह–1–281/94, दिनांक 04 मार्च, 1995 द्वारा निर्णय लिया गया ।

2—उक्त शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 1995 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कोई भी संस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी क्षेत्र में अभियंत्रण कालेज की स्थापना कर सकती है :–

(1) कोई भी संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, न्यास अधिनियम, 1882, वक्त अधिनियम, 1954 या राज्य में चल रहे समकक्ष कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए ।

(2) आवेदक संस्था को अपना प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होता है । राज्य सरकार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं समाहित प्रस्तावों की समीक्षा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित एक राज्य समीक्षा समिति द्वारा किया जाता है । समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी उन प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित करती है । इस प्रकार राज्य सरकार की अनापत्ति किसी संस्था को संचालित करने के लिये प्रदान की जाती है ।

(3) उल्लेखनीय है कि किसी भी संस्था को अनापत्ति देने से पूर्व उसके पास 4 हेक्टेयर भूमि एवं प्रस्ताव का 10 प्रतिशत अनावर्तक मद में धनराशि अथवा रु० 50 लाख की सावधि जमा का होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त संस्था के पास भवन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण एवं स्टाफ एवं उनका वेतन ए० आई० सी० टी० ई० के मानकों के अनुसार होना चाहिए ।

निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे सभी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थानों में प्रवेश की कार्यवाही संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रदेश में कार्यरत सभी इंजीनियरिंग संस्थाओं के प्रधानाचार्य/निदेशक सदस्य होते हैं । जो संस्थान जिस वर्ष परीक्षा आयोजित कराता है उस संस्थान के निदेशक समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं ।

4—निजी क्षेत्र में स्थापित सभी संस्थाओं में शिक्षण शुल्क एवं अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30 जुलाई, 1998 द्वारा किया गया है उक्त शुल्कों का निर्धारण निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूल न किये जाने के उद्देश्य से किया गया है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्कों में निःशुल्क एवं सशुल्क सीटों के सभी मदों के शुल्कों का उल्लेख है। निजी संस्थाओं में 50 प्रतिशत छात्र निःशुल्क सीट अर्थात राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क पर प्रवेश पाते हैं । 45 प्रतिशत सशुल्क जिसके लिये सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित है पर प्रवेश पाते हैं । सरकार ने शुल्क निर्धारित किया है जो इस समय रु० 63000 शुल्क और रु० 5000

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतिभूति जमा है, देय होता है । इसके अतिरिक्त निजी संस्थायें प्रबंधकीय 5 प्रतिशत प्रवेश अपने विवेक पर सीधे कर सकती हैं । जो एन० आर० आई० मैनेजमेंट कोटा से सीधे की जाती है । इसके लिये पांच हजार डालर प्रतिवर्ष अर्थात् रु० 2,12,500.00 फीस एवं पांच हजार रु० प्रतिभूति जमा कराया जाता है ।

श्री विशाल उपमन्यु का प्रवेश सशुल्क छात्र के रूप में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हुआ है उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोई धनराशि जमा करना संस्था द्वारा गलत बताया गया है । उक्त संस्था या कोई निजी संस्था शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी अन्य शुल्क लेती है तो यह भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा और कार्यवाही शिकायतकर्ता द्वारा की जा सकती है । प्रमाण मिलने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा अनियमिततायें किये जाने के संबंध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[इस संबंध में अवगत कराना है कि श्रीमती हरप्यारी देवी इ० का० रोहई, हाथरस की माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा हाईस्कूल की मान्यता वर्ष 1992 की परीक्षा से एवं इण्टरमीडिएट की मान्यता वर्ष 1996 की परीक्षा से प्रदान की गयी । यह विद्यालय वर्ष 1991 से वर्ष 1997 तक मा० शि० प० की परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र रहा और उक्त वर्षों में शासनादेश के अनुसार ही जनपदीय एवं मण्डलीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनता रहा और वर्ष 1997 के पूर्व इस विद्यालय के संबंध में कोई शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई थी । वर्ष 1997 की परीक्षा हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के जो आवेदन पत्र जुलाई/अगस्त, 1996 में इस संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित करके क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ भेजे उसकी संख्या प्रारम्भ में बहुत ही कम थी (हाईस्कूल के 91 एवं इण्टर के 31), किन्तु बाद में डाक द्वारा बहुत ही अधिक संख्या में आवेदन पत्र औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ भेजे गये । इन आवेदन पत्रों में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के कुछ आवेदन पत्र दूसरे प्रान्तों के भी होने की शिकायत प्राप्त हुई ।

श्रीमती हरप्यारी देवी इ० का० रोहई, हाथरस द्वारा बहुत अधिक संख्या में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र बिना औपचारिकताओं की पूर्ति के अग्रसारित कर दिये जाने के संबंध में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय को जानकारी प्राप्त हुई तो इण्टरमीडिएट के उन समस्त व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल डब्लू ई सूची (आक्षेप) में रोक लिया गया किन्तु तत्समय तत्कालीन परिवहन मंत्री, जिनके द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत इस विद्यालय में कथित रूप से भ्रष्टाचार किये जाने का उल्लेख किया है, ने अपने पत्र संख्या–1061 दिनांक 26-5-97 द्वारा उपर्युक्त परीक्षार्थियों का परीक्षाफल न रोकने के लिये तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी को लिखा जिस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् को यह निर्देश दिये गये कि सम्पूर्ण प्रकरण की तत्काल जांच कराकर आख्या तीन दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाय । तदोपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाफल समिति तथा निस्तारण समिति के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समक्ष प्रस्तुत किया गया । अन्ततोगत्वा निस्तारण समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करने के पश्चात् ही परीक्षाफल घोषित किया जाय तथा पूर्ण एवं वैध पाये गये समस्त आवेदन पत्रों के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाय ।

उपरोक्त अनियमित कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप इस संस्था को परिषद् की वर्ष 1998 की परीक्षाओं हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्रों के अग्रसारण का केन्द्र नहीं बनाया गया और वर्ष 1998 की परीक्षा हेतु उक्त संस्था को जनपद एवं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र भी न बनाये जाने की संस्तुति की गयी किन्तु मा० उच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील नं० 131/98 में पारित निर्णय दिनांक 26-2-98 के अनुपालन में उक्त संस्था में अध्ययनरत हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की संस्थागत छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्र बनाया गया ।

इस बीच श्रीमती हरप्यारी देवी इ० का० रोहई, हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित एवं मानक से अधिक आवेदन पत्रों को परिषद् की वर्ष 1997 की परीक्षा हेतु अग्रसारित करने एवं सम्पूर्ण प्रकरण में गहन जांच परिषद् के अपर सचिव द्वारा की गई । जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि केन्द्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य श्रीमती हरप्यारी देवी इ० का० रोहई, हाथरस द्वारा 2253 परीक्षार्थियों की परीक्षा व्यवस्था, उनके बैठने एवं प्रश्नपत्रों की व्यवस्था अनियमित ढंग से कार्यवाही की गयी । केन्द्र व्यवस्थापक ने इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के बैठने हेतु न तो अतिरिक्त काष्ठोपकरण की मांग की और न ही कक्ष निरीक्षकों की कोई अतिरिक्त व्यवस्था करायी गयी । यहां तक कि विद्यालयों में 500 से अधिक परीक्षार्थी हो वहां पर सह केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति नहीं की गयी ।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि केन्द्र व्यवस्थापक श्रीमती हरप्यारी देवी इ० का०, रोहई के परिषदीय परीक्षाओं की पवित्रता तथा उसकी विश्वसनीयता पर आघात पहुंचाया है । अतः उपरोक्त जांच आख्या के आधार पर परिषद् की परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों हेतु कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाय । साथ ही विद्यालय को भविष्य में कभी भी परिषदीय परीक्षाओं का अग्रसारण केन्द्र तथा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय । इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीति के अनुरूप इस शासनकाल में ही सम्बन्धित संस्था तथा इसके प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है जबकि इसके पूर्व के शासनकाल में ऐसे व्यक्तियों को परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग हेतु प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला है ।

वर्ष 1999 की परिषद् परीक्षाओं हेतु श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई, हाथरस के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आलोक में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों का अग्रसारण केन्द्र नहीं बनाया गया है और न ही वर्ष 1999 की परीक्षा हेतु केन्द्र बनाया गया है ।

जहां तक मा० पूर्व विधायक श्री राजवीर सिंह पहलवान द्वारा उनके पत्र दिनांक 18-5-98 में प्रश्नगत विद्यालय की शिकायत किये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही इस विद्यालय तथा सम्बन्धित विद्यालयों के विरुद्ध की गई है, उसमें हाथरस अन्य विद्यालयों का उल्लेख किया गया है ।

जहां तक इस विद्यालय द्वारा वर्ष 1991 से 1998 तक परिषद् परीक्षाओं में सम्मिलित संस्थागत एवं व्यक्तिगत छात्रों के परीक्षा शुल्क के अधिकांश ट्रेजरी चालान फर्जी लगाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर इसकी जांच करा ली जायेगी और यदि तथ्य सही पाया जाता है, तो संदर्भगत विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

हमारी सरकार परिषद् परीक्षाओं की पवित्रता, गरिमा, गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु दृढ़ संकल्प है । इस मामलों में हम दूसरों से भिन्न हैं और परिषद् परीक्षाओं में हमारी कथनी और

करनी में कोई पार्थक्य नहीं है । वर्ष 1999 की परीक्षाओं के लिये भी ऐसी समस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिससे परीक्षायें नकल मुक्त वातावरण में शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो ।]

टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत होने वाले विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य तथा परियोजना पर होने वाले व्यय के विषय में कुंवर रेवती रमण सिंह आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

हरिद्वार के गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण के कार्यों के विषय में श्री अम्बरीष कुमार आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 36 एवं 37 पर निर्धारित चर्चाओं को स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

18 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पांचवें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न के उत्तरालेख का संलग्नक

क्र०सं०	वर्ष	प्राप्त धन	मदें जिन पर व्यय किया गया
1	89-90	53586.00	1-राम हरक के घर से पक्की रोड तक मिट्टी भराई । 2-मकरुद्दीन के घर से रोड तक कच्ची सड़क निर्माण कार्य 3-तदैव 4-सार्वजनिक विभाग की रोड से हरिजन बस्ती तक मिट्टी कार्य 5-छत्रधारी के घर से पी० डब्लू० डी० मार्ग बाईपास तक 6-स्टेशनरी व्यय ।
2	90-91	27236.00	1-कूप निर्माण 2-पी० डब्लू० डी० रोड से हरिजन बस्ती तक 3-पुलिया निर्माण 4-हैण्डपम्प/अन्य व्यय ।
3	91-92	23791.00	1-हरिजन बस्ती में खड़न्जा कार्य 2-हैण्ड पम्प/मजदूरी 3-पी० डब्लू० डी० सड़क से रामकरन के घर तक मिट्टी का कार्य 4-भेला के घर से बीरपुर सिवान तक मिट्टी का कार्य 5-पुलिया निर्माण/मजदूरी 6-मकसूदन के दरवाजे से भलवनी वाली सड़क तक 7-मोती चन्द्र हरिजन के घर से बीरपुर सीवान तक कच्ची सड़क एवं रामदेव के घर से रामबदन के घर तक खड़न्जा कार्य ।
4	92-93	11611.00	1-राजकीय नलकूप से नथूनी के खेत तक कच्ची सड़क मरम्मत/निर्माण ईंट क्रय 2-हैण्ड पम्प तीन अदद/मजदूरी 3-छत्रधारी के टोल से हलवनी जाने वाली रास्ते तक कच्ची सड़क मरम्मत 4-किसान दिवस पर व्यय ।

क्र०सं०	वर्ष	प्राप्त धन	मदें जिन पर व्यय किया गया
5	93-94	21847.00	1–रामानन्द के दरवाजे से शिव पूजन के दरवाजे तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य । 2–मिट्टी कार्य/मजदूरी 3–हैण्ड पम्प मरम्मत 4–हरिजन बस्ती से बीजापुर सिवान तक कच्ची सड़क निर्माण ।
6	94-95	22860.00	1–मिट्टी/खड़न्जा कार्य 2 – ग्राम सभा महुई श्रीकान्त के अन्दर खड़न्जा/मजदूरी/ईंट क्रय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 208 विधान सभा (629)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।